संलग्नक

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का कालक्रम अप्रैल 2002 से जुलाई 2003

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
		I. मौद्रिक नीतिगत उपाय
2002		
अप्रैल	**29**	• 15 जून, 2002 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से नकदी प्रारक्षित अनुपात 5.5 प्रतिशत से घटाकर 5.0 प्रतिशत किया जायेगा।
		• जब कभी आवश्यक हो रिज़र्व बैंक बैंक दर में 50 आधार अंक तक की कटौती का विचार करेगा।
		• 5 अक्तूबर, 2002 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से जमानती उधार सुविधा (सीएलएफ) चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दी जाएगी। मौद्रिक स्थिति में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यक समझा गया तो भविष्य में अस्थायी अवधि के लिए जमानती उधार सुविधा पुनः शुरू की जा सकती है।
		• बैंक, जमाओं पर जमाकर्ताओं के लिए निश्चित दर के विकल्प सहित नमनीय (परिवर्तनीय) ब्याज दर प्रणाली यथाशीघ्र शुरू करने के लिए सभी बैंकों को प्रोत्साहित किया गया। बैंकों से कहा गया कि वे पहले से चल रही जमा की अवधि के लिए संविदागत दर से जमाकर्ताओं को ब्याज अदा करने और यदि उसी जमा का नवीकरण परिवर्ती दर पर किया जाता है तो अवधि समाप्ति पूर्व आहरण पर दण्ड न लगाने पर विचार करें।
		• बैंक, जमाकर्ताओं तथा रिज़र्व बैंक को निम्नलिखित से संबंधित सूचना उपलब्ध कराएं : क) जमाकर्ताओं के लिए विभिन्न परिपक्वताओं की जमा दरें तथा उस पर मिलनेवाला वास्तविक वार्षिक प्रतिलाभ और ख) उधारकर्ताओं से वसूले जाने वाले ब्याज की अधिकतम और न्यूनतम दर। रिज़र्व बैंक यह उपर्युक्त सूचना सर्वाधिकार-क्षेत्र (पब्लिक डोमेन) में जारी करेगा।
		• सर्वाधिकार क्षेत्र में संबंधित सूचना जारी करने के लिए सभी बैंक 15 जून, 2002 को शुरू होनेवाले पखवाड़े से निर्यातकों पर प्रभार्य न्यूनतम और अधिकतम उधार दरों की जानकारी रिज़र्व बैंक को दें।
		• बैंक उधारकर्ताओं पर प्रभारित संसाधन प्रभार, सेवा प्रभार, आदि की स्पष्ट घोषणा करके उधारकर्ताओं के संबंध में 'सभी लागत' अवधारणा को अपनाएं तथा सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा करें।
		• न्यूनतम उधार दर (एमएलआर) अवधारणा की समाप्ति के बाद सहकारी बैंक अपनी उधार दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। सहकारी बैंकों को अपनी न्यूनतम तथा अधिकतम उधार दरें प्रकाशित करनी होंगी और उन्हें अपनी प्रत्येक शाखा में प्रदर्शित करना होगा।
		• विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता जमाओं पर अधिकतम ब्याज दरों में संगत परिपक्वताओं की लिबोर/स्वैप दरों से अधोगामी संशोधन किया गया तथा इसे लिबोर/स्वैप दर से 25 आधार अंक कम कर दिया गया।
		• विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर अधिकतम दर को विद्यमान लिबोर से 1.0 प्रतिशत अंक अधिक से घटा करके लिबोर से 0.75 प्रतिशत अंक अधिक कर दिया गया।
		• मांग/सूचना मुद्रा बाजार में राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के दैनिक उधार पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में उनकी सकल जमा राशि के 2.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।
		• बैंकों की आरंभिक राशि सीमा तथा परिपक्वता अंतर सीमाओं (सीमा गैप) के भीतर बैंकों द्वारा विदेशी बाजारों से उधार लेने और उनमें निवेश करने की सीमा उनकी अक्षत टियर I पूँजी के 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गई।
मई	**18**	• आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के उस समय विद्यमान 5.5 प्रतिशत के स्तर में 0.5 प्रतिशत अंक की कमी जो पहले 15 जून, 2002 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से लागू होनी प्रस्तावित थी अब 1 जून, 2000 से शुरू होने वाले सूचित करने के लिए नियत पखवाड़े से प्रभावी होगी।
जून	**27**	• रिपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करके उसे 6.00 प्रतिशत से 5.75 प्रतिशत किया गया।
		• मांग मुद्रा बाजार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पर निर्धारित विवेकपूर्ण सीमा दो चरणों में निर्धारित की गयी :
		i) पहले चरण में, यह निर्धारित किया गया कि 5 अक्तूबर, 2002 से मांग/सूचना मुद्रा बाजार में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के दिये गये दैनिक उधार, पाक्षिक औसत आधार पर, पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में उनकी स्वाधिकृत निधियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए; उनके लिये गये पाक्षिक औसत उधार उनकी स्वाधिकृत निधियों के 150 प्रतिशत या पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में उनकी सकल जमा के 2.0 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होने चाहिए। तथापि, उन्हें पखवाड़े के दौरान किसी भी दिन अपनी स्वाधिकृत निधियों के अधिकतम क्रमशः 100 प्रतिशत और 250 प्रतिशत तक उधार देने और उधार लेने की अनुमति होगी।
		ii) दूसरे चरण में, यह निर्धारित किया गया कि 14 दिसंबर, 2002 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से मांग/सूचना मुद्रा बाजार में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के दिये गये पाक्षिक औसत उधार उनकी स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए; उनके लिये गये पाक्षिक औसत उधार उनकी स्वाधिकृत निधि के 100 प्रतिशत या पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में उनकी सकल जमा के 2.0 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होने चाहिए। तथापि, उन्हें पखवाड़े के दौरान किसी भी दिन अपनी स्वाधिकृत निधियों के अधिकतम क्रमशः 50 प्रतिशत और 125 प्रतिशत तक उधार देने और उधार लेने की अनुमति होगी।
		iii) चलनिधि स्थिति में भिन्नता होने के मामले में अस्थायी तौर पर अधिक मात्रा के लिए अनुमति दी जा सकती है। यदि बैंक में रिज़र्व बैंक की संतुष्टि के अनुसार पूर्णतः कार्यरत आस्ति देयता प्रबंध प्रणाली (एएलएम) है तो और अधिक अवधि के लिए निर्धारित मानदंड से अधिक मात्रा के लिए अनुमति दी जा सकती है।

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2002		**I. मौद्रिक नीतिगत उपाय** *(...जारी)*
जुलाई	**31**	• मांग मुद्रा/सूचना मुद्रा बाजार में प्राथमिक व्यापारियों के लेनदेनों की सीमाएं निर्धारित करने के मानदंड संबंधी सुझाव देने तथा साथ ही उन्हें क्रमिक रूप से मांग मुद्रा/सूचना मुद्रा बाजार से चरणबद्ध रूप से बाहर करने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तावित करने हेतु गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया कि: i) प्राथमिक व्यापारियों को 5 अक्तूबर, 2002 से अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों (एनओएफ) के 25 प्रतिशत तक मांग मुद्रा/सूचना मुद्रा बाजार में उधार देने की अनुमति दी जाएगी। ii) प्राथमिक व्यापारियों द्वारा मांग मुद्रा/सूचना मुद्रा बाजार से उधार लेना धीरे-धीरे दो चरणों में कम किया जाएगा : चरण I में, प्राथमिक व्यापारियों को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में विद्यमान अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के 200 प्रतिशत तक उधार लेने की अनुमति दी जाएगी। चरण II में, प्राथमिक व्यापारियों को अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के 100 प्रतिशत तक उधार लेने की अनुमति दी जाएगी। इन दोनों चरणों के अंतर्गत लागू सीमाएं उन दिनों के लिए लागू नहीं होंगी जिस दिन सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियां बाजार में जारी की जाएंगी। चरण I के कार्यान्वयन की तारीख बाद में अधिसूचित की जाएगी तथा यह रिपो के लिए एक समान लेखाकरण और दस्तावेजीकरण क्रियाविधियों को अंतिम रूप देने, रिपो के आवर्तन (रोल ओवर) के लिए अनुमति, त्रिपक्षीय रिपो के आरंभ या संपार्श्विक उधार लेने और उधार देने की देयताओं तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में से रिपो के लिए अनुमति देने पर लागू होगा। जबकि चरण II रिपो प्रतिभूतियों की बिक्री की अनुमति देने के एक महीने बाद शुरू होगा। iii) त्वरित सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) के कार्यान्वयन पर उपर्युक्त छूट की समीक्षा की जाएगी।
अक्तूबर	**29**	• 29 अक्तूबर, 2002 को कारोबार की समाप्ति से बैंक दर 25 आधार बिंदु कम करके 6.25 प्र.श. की गयी। • रिपो दर 25 आधार बिन्दु घटाकर 5.25 प्र.श. कर दी गयी। • आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 16 नवंबर, 2002 से प्रारंभ पखवाड़े से 25 आधार बिन्दु घटाकर 4.75 प्र.श. किया जाएगा। • 16 नवंबर, 2002 से प्रारंभ पखवाड़े से सामान्य और बैक-स्टाप सुविधाओं के प्रभाजन को दो-तिहाई से एक-तिहाई के विद्यमान अनुपात से बदलकर प्रत्येक को आधा-आधा (50:50) किया जाएगा। • सभी सहभागियों को सूचित किया गया कि वे निपटान गारंटी निधि में अंशदान करें ताकि भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआइएल)नवंबर के प्रारंभ में विदेशी मुद्रा समाशोधन परिचालन प्रारंभ कर सके और इस सुविधा को संपार्श्विक बना सके।
दिसंबर	**26**	• बैंकों को, उनके आंतर-अवधि नकदी प्रवाह के आधार पर प्रारक्षित निधि धारिता की अनुकूलतम रणनीति के चयन में नमनीयता प्रदान करने के उद्देश्य से 28 दिसंबर, 2002 से प्रारंभ पखवाड़े से आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) शेष बनाये रखने की न्यूनतम दैनिक अपेक्षा को 80 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया।
2003		
फरवरी	**28**	• 1 मार्च, 2003 से बचत खाते पर बैंक द्वारा दिये जाने वाले ब्याज की दर 4.0 प्र.श. वार्षिक से कम करके 3.5 प्र.श. वार्षिक कर दी गयी। • 3 मार्च, 2003 से चलनिधि समायोजन सुविधा रिपो दर 5.5 प्र.श. से घटाकर 5.0 प्र.श. कर दी गयी।
अप्रैल	**29**	• 29 अप्रैल, 2003 को कारोबार की समाप्ति से बैंक दर 6.25 प्रतिशत से 0.25 प्रतिशत अंक घटाकर 6.0 प्र.श. कर दी गयी। इसे स्थिर बनाये रखने का यह नीतिगत पूर्वाग्रह अक्तूबर 2003 की मध्यावधि समीक्षा तक बनाये रखना है। • 14 जून, 2003 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 4.75 प्र.श. से 0.25 प्र.श. अंक घटाकर 4.50 प्र.श. कर दिया जायेगा। • रिज़र्व बैंक के पास बैंकों द्वारा रखी गई सीआरआर स्वरूप पात्र राशियों पर ब्याज अदायगी अप्रैल 2003 से (विद्यमान तिमाही आधार के स्थान पर) मासिक आधार पर की जाएगी। • 90 दिन से अधिक और 180 दिनों तक के लिए पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण के अंतर्गत पात्र निर्यात ऋण की बकाया राशि के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा जारी रहेगी। इस निर्णय की समीक्षा अक्तूबर 2003 की मध्यावधि समीक्षा में की जाएगी। • चलनिधि की दरों की वैविध्यता, जिस पर वह बैक-स्टॉप सुविधा के तहत प्रणाली से निकाल ली जाती है/में डाल दी जाती है, को निम्नानुसार युक्तिसंगत बनाया गया हैः (i) बैक-स्टॉप ब्याज दर उस तारीख को नियमित चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) की नीलामियों पर रिवर्स रिपो की उच्चतम दर होगी; (ii) चलनिधि समायोजन सुविधागत नीलामियों में यदि रिवर्स रिपो न हो तो बैक-स्टॉप की दर रिपो की उच्चतम दर से 2.0 प्र.श. अंक अधिक होगी; और (iii) ऐसे दिनों में जब रिपो/रिवर्स रिपो नीलामियों के लिए कोई बोली न मिली हो/स्वीकार न की गयी हों तो बैक-स्टॉप दर रिज़र्व बैंक द्वारा *तदर्थ आधार* पर निर्धारित की जायेगी। • बैंकों को उनके ऋण-उत्पादों के कीमत-निर्धारण में और पारदर्शिता लाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राथमिक उधार दर से वास्तविक लागत का सही-सही पता चलता है, सूचित किया गया की बेंचमार्क प्राथमिक उधार दर की गणना करते समय अपनी (i) निधियों की वास्तविक लागत (ii) परिचालनगत व्यय और (iii) प्रावधानीकरण/पूंजीगत प्रभारों और लाभ मार्जिन की विनियामक अपेक्षाएं पूरी करने के लिए न्यूनतम मार्जिन का ध्यान रखें। • 2 लाख तक की ऋण सीमा के लिए उच्चतम दर आधार (बेंचमार्क) मूल उधार दर बनी रहेगी। बैंकों द्वारा आधार मूल उधार दर निर्धारण करने की प्रणाली तथा आधार मूल उधार दर के चारों ओर विद्यमान वास्तविक कीमत-लागत अंतर की समीक्षा सितंबर 2003 में की जाएगी। • एफसीएनआर (बैंक) जमाराशियों के अनुरूप नई एनआरइ जमाराशियों की न्यूनतम परिपक्वता अवधि को बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया है। नयी अनिवासी भारतीय बाह्य जमाराशियों की न्यूनतम परिपक्वता अवधि, सामान्यतः एक वर्ष से तीन वर्ष होगी। यदि कोई विशेष बैंक अपने आस्ति-देयता प्रबंध विषयक दृष्टिकोण से 3 वर्ष से अधिक परिपक्वता वाली जमाराशियां स्वीकार करना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है, बशर्ते ऐसी दीर्घावधिवाली जमाराशियों पर दिया जानेवाला ब्याज 3-वर्षीय अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर लागू ब्याज दर से अधिक न हो।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का कालक्रम

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2003		**I. मौद्रिक नीतिगत उपाय** *(...जारी)*
अप्रैल	**29**	• पूर्णतः अंतर-बैंक मांग/सूचना मुद्रा बाजार के पारगमन/अंतरण का चरण-II 14 जून, 2003 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से प्रारंभ होगा जिसमें बैंकेतर सहभागियों को 2000-01 के दौरान सूचित पखवाड़े में औसत आधार पर, मांग/सूचना मुद्रा बाजार में उनके दैनिक औसत उधार का 75 प्र.श. तक उधार देने की अनुमति दी जाएगी।
		• 3 मई, 2003 से प्रारंभ पखवाड़े से तयशुदा लेनदेन प्रणाली पर किये गये सभी मांग/सूचना मुद्रा बाजार सौदों की जानकारी देना तयशुदा लेन-देन प्रणाली के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य होगा। तयशुदा लेन-देन प्रणाली से परे किये गये लेन-देन भी 15 मिनट के भीतर तयशुदा लेनदेन प्रणाली पर सूचित किये जाने चाहिए, भले ही उक्त लेन-देन का आकार चाहे जो हो अथवा प्रतिपक्ष तयशुदा लेन- देन प्रणाली का सदस्य हो अथवा न हो। तयशुदा लेनदेन प्रणाली की रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के पूर्ण अनुपालन की समीक्षा सितम्बर 2003 में की जायेगी। यदि किसी सदस्य द्वारा सौदों की सूचना न देने की रिपोर्ट बार-बार आती है तो इस पर विचार किया जायेगा कि उस सदस्य द्वारा रिपोर्ट न किये गये सौदों को भावी तारीख से अमान्य माना जायेगा।
		• कम जटिल ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर रुपया ऑप्शन की अनुमति दी जायेगी। इस मामले में बाजार सहभागियों के परामर्श से विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये जायेंगे।
जुलाई	**17**	• बैंकों को सूचित किया गया कि अगली सूचना तक, 17 जुलाई, 2003 से संविदाकृत 1 से 3 वर्ष की नए प्रत्यावर्तनीय अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज दर संगत मीयाद की अमरीकी डॉलर के लिए लिबोर/स्वैप दरों से 250 आधार अंकों से अधिक नहीं होना चाहिए। पिछले माह के अंतिम कार्य दिवस की लिबोर/स्वैप दरें आगामी माह से प्रदत्त ब्याज दरों की अधिकतम सीमा के लिए आधार होंगी।
		II. आंतरिक ऋण प्रबंधन नीतियां
2002		
अप्रैल	**1**	• राज्य सरकारों की अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं में संशोधन किया गया। सामान्य कुल अर्थोपाय अग्रिम सीमा रु.752 करोड़ बढ़ाकर रु.6,035 करोड़ कर दी गई।
		• राजकोषीय वर्ष 2002-03 के पहले छह महीनों के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम का कैलेण्डर घोषित।
	3	• 3 अप्रैल, 2002 से होनेवाली नीलामियों में 364-दिवसीय खजाना बिलों की अधिसूचित राशि रु. 750 करोड़ से बढ़ाकर रु.1,000 करोड़ कर दी गई।
	17	• राजकोषीय वर्ष 2002-03 के लिए भारत सरकार के अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) वर्ष की पहली छमाही के लिए (अप्रैल-सितम्बर) रु.10,000 करोड़ तथा दूसरी छमाही के लिए (अक्तूबर-मार्च) रु.6,000 करोड़ निर्धारित किये गये। अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज-दर बैंक दर तथा ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर, बैंक दर और उस पर दो प्रतिशत अधिक निर्धारित की गयी।
मई	**20**	• भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं को अनुदेश दिये गये थे कि वे अमूर्त (डीमैट) रूप में एसजीएल/सीएसजीएल (गिल्ट) खाते में अथवा निक्षेपागारों (डिपाजिटरी) के पास अमूर्त खाते में ही सरकारी प्रतिभूतियों में अपने निवेश रखें और लेनदेन करें।
	31	• 31 मई, 2002 से सेटेलाइट डीलर योजना (एसडीएस) बंद कर दी गई।
जून	**5**	• प्राथमिक व्यापारियों को वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के दायरे में लाया गया।
जुलाई	**17**	• पहली बार केन्द्र सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में मांग और पुट आप्शन वाले बाण्ड (10 वर्षीय भारत सरकार स्टॉक) जारी किये गये।
	26	• प्राथमिक व्यापारी अपने लेखा-परीक्षित परिणाम निर्दिष्ट फार्मेट में प्रमुख वित्तीय अखबारों और अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें।
अक्तूबर	**29**	• सेबी के परामर्श से शेयर बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों में बेनामी स्क्रीन आधारित आदेश संचालित व्यापार शुरू किया जायेगा।
		• सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों की तर्ज पर बैंकों के निवेशों को श्रेणीबद्ध और मूल्यांकन करने की दिशा में अग्रसर होने के लिए रिज़र्व बैंक ने बाजार सहभागियों के परामर्श से रिपो और रिवर्स रिपो लेनदेनों के लिए एकसमान लेखांकन मानदंड संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
		• रिपो बाजार को गहन और अधिक चलनिधि प्लावित करने के लिए रिज़र्व बैंक का प्रस्ताव है कि (i) जब तक सभी लेनदेन अनिवार्यतः रिपोर्ट किये जाते हैं तथा सुपुर्दगी बनाम भुगतान प्रणाली (डीवीपी) के माध्यम से निपटाये जाते हैं तब तक गिल्ट/सीएसजीएल खातों वाली सभी विनियमित संस्थाओं को रिपो दिया जाये और ii) उक्त प्रतिभूतियों का उन्हीं प्रतिपक्षों के बीच उसी रिपो करार के अंतर्गत आदान-प्रदान करने की अनुमति दी जाए।
		• द्वितीयक बाजार में बांडों के मूल्यन में सुधार लाने और उनकी तरलता में वृद्धि करने के लिए i) सचल दर वाले बांडों (एफआरबी) के नये निर्गमों में छमाही पुनर्निर्धारण की वर्तमान पद्धति के स्थान पर आधार दर के वार्षिक पुनर्निधारण की व्यवस्था होगी और ii) आधार दर विद्यमान सचल दर वाले बांडों के लिए यथा लागू पूर्ववर्ती तीन नीलामियों की तुलना में पूर्ववर्ती छह नीलामियों में 364-दिवसीय खजाना बिल की औसत उच्चतम प्राप्तियों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
2003		
जनवरी	**16**	• एनएसइ, बीएसइ और ओटीसीइएल में घोषित शेयर बाजारों के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री।
	20	• संपार्श्विक उधार लेने और ऋण देने संबंधी दायित्वों (सीबीएलओ) का परिचालन सीसीआइ एल के माध्यम से मुद्रा बाजार लिखत के रूप में प्रारंभ हो गया।

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2003		**II. आंतरिक ऋण प्रबंधन नीतियां** *(...जारी)*
फरवरी	**21**	• सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डीवीपी) और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय सहित गिल्ट खाता धारकों की चुनिंदा श्रेणियों को हाजिर वायदा (रिपो) संविदाओं हेतु पात्रता देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये थे। यह दिशा-निर्देश 3 मार्च, 2003 से लागू हुए।
मार्च	**3**	• रामचंद्रन समिति की सिफारिशों के आधार पर 3 मार्च, 2003 से अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं संशोधित की गयीं। यह सीमाएं रु.1,135 करोड़ बढ़ाकर रु.7,170 करोड़ कर दी गईं।
	24	• रिपो लेन-देनों के एक समान लेखांकन हेतु मार्गदर्शी नियम जारी किये गये।
		• प्राथमिक व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) ऋण लेने के लिए मार्गदर्शी नियम जारी किये गये।
	31	• राजकोषीय वर्ष 2003-04 के पहले छह महीनों के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु एक सूचक कैलेण्डर घोषित किया गया।
अप्रैल	**1**	• राजकोषीय वर्ष 2003-04 के लिए भारत सरकार के अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) के लिए रु.10,000 करोड़ और दूसरी छमाही (अक्तूबर से मार्च) के लिए रु.6,000 करोड़ बनाये रखी गयी। ब्याज दर अर्थोपाय अग्रिमों पर बैंक दर और ओवरड्राफ्ट पर बैंक दर और उस पर दो प्रतिशत अंक अधिक निर्धारित की गई।
		• राज्य सरकारों के लिए ओवरड्राफ्ट का विनियमन ज्यादा कठोर बनाया गया। राज्य किसी भी तिमाही में 36 कार्य दिवसों से ज्यादा ओवरड्राफ्ट में नहीं रह सकते।
	3	• सरकारी प्रतिभूतियाँ उधार देने की योजना के प्रारंभ हेतु भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआइएल) के परिचालन विषयक दिशा-निर्देश जारी किये गये। भारतीय समाशोधन निगम लि. को इन मार्गदर्शी नियमों के अधीन सहकारी प्रतिभूतियों के लेनदेनों को निपटाने में प्रतिभूतियों की कमी की स्थिति से निपटने के प्रयोजन से अपने किसी भी सदस्यों से सरकारी प्रतिभूतियां उधार लेने के लिए परस्पर व्यवस्था करने की अनुमति दी गयी।
	10	• निवेश संविभाग प्रबंध सेवाओं (पीएमएस) हेतु प्राथमिक व्यापारियों को परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये गये। प्राथमिक व्यापारियों को निवेश संविभाग प्रबंध सेवाएं केवल उन्ही संस्थाओं को प्रदान करने की अनुमति दी गयी जो रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित न हों और इसके लिए रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया गया हो तथा वे सेबी में पंजीकृत हों।
	29	• संपार्श्विक उधार लेने और देने संबंधी दायित्व (सीबीएलओ) की प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की बाध्यता से मुक्त रखा गया है बशर्ते बैंक 3.0 प्रतिशत का सांविधिक न्यूनतम प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखें। सीबीएलओ के लिए सीएसजीएल सुविधा के अंतर्गत सीसीआइएल के पास बैंक के श्रेष्ठ प्रतिभूति (गिल्ट) खाते में रखी गयी प्रतिभूतियां जो किसी भी दिन की समाप्ति पर भार मुक्त रही हैं उन्हें संबंधित बैंक द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) की गणना के प्रयोजन से हिसाब में लिया जायेगा।
मई	**19**	• रु.5,000 करोड़ के अस्थायी दर बाण्ड 2014 जारी किये गये जिनमें पहली बार आशोधित पहलुओं को शामिल किया गया।
जून	**3**	• ब्याज दर जोखिम से अपने निवेशों को व्यवस्थित करने (बचाने) में प्राथमिक व्यापारियों को सक्षम बनाने की दृष्टि से उन्हें शेयर बाजार में खरीदे / बेचे गये ब्याज दर व्युत्पन्नियों में क्रमिक रूप से व्यापार करने की अनुमति दी गयी। प्रथम चरण में, इन संस्थाओं को नोशनल बांडों और खजाना बिलों संबंधी केवल ब्याज दर फ्यूचर्स में, विवेकपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांतों और उचित प्रकटीकरणों के अधीन उनके निवेश संविभागों में पड़े अपने निवेशों के जोखिम को 'हेज' करने के सीमित प्रयोजन हेतु, कारोबार करने की अनुमति दी गयी थी।
	11	• प्राथमिक व्यापारियों से प्राप्त प्रतिसूचना (फीडबैक) के आधार पर उन्हें ब्याज दर फ्यूचर्स में कारोबारी स्थिति धारित करने की फिर से अनुमति दी गयी।
		III. वित्तीय क्षेत्र संबंधी उपाय
2002		
अप्रैल	**1**	• शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि तुलनपत्र की तारीख के बाद शेयर पूंजी में वृद्धि या कटौती को छमाही अंतरालों पर निवेश ऋण देने की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए ध्यान में लिया जाए और यदि बैंक चाहे तो 30 सितंबर को उपलब्ध शेयर पूंजी की राशि को ध्यान में रखते हुए निवेश की नयी सीमा निर्धारित कर सकता है। तथापि, शेयर पूंजी से भिन्न पूंजीगत निधि में वृद्धि निवेश की उच्चतम सीमा निर्धारण की गणना करने के लिए पात्र नहीं होगी। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भावी तारीख को पूंजी की प्रत्याशा में वे निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक निवेश जोखिम न उठायें।
	4	• शहरी सहकारी बैंकों में धोखाधड़ियों के मामले, जिनमें गंभीर स्वरूप की भारी राशियों की धोखाधड़ियां शामिल हैं, अर्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को सूचित किए जाने चाहिए तथा उसमें विशिष्ट धोखाधड़ियों की विभिन्न श्रेणियों को समाविष्ट किया जाना चाहिए।
	5	• बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों का सलाहकार समूह (अध्यक्षः डा.ए.एस. गांगुली) ने अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी जिसका गठन बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के निदेशक मंडल की भूमिका को परखने तथा ऐसी सिफारिशें करने के लिए किया गया था जिन पर सरकार/रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जायेगा ताकि जोखिमों और निवेश सीमा से ज्यादा निवेश करने (ऋण देने) (ओवर-एक्स्पोज़र) को कम किया जा सके और निदेशक मंडल को प्रभावी बनाया जा सके। इस समूह की मुख्य सिफारिशें बड़े आकार के राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में एक और निदेशक की पूर्णकालिक आधार पर नियुक्ति; निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति के लिए उपयुक्त सम्यक सचेतन प्रक्रिया की स्थापना; स्वतंत्र/गैर-कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए बैंक के निदेशक मण्डल में नामांकन समितियों का गठन; बैंकों में बोर्ड स्तरीय नियुक्तियों के लिए व्यावसायिक और प्रतिभावान व्यक्तियों के समूह (पूल) का निर्माण, से संबंधित हैं।
		• शहरी सहकारी बैंक के नव गठित निदेशक मंडल में उपयुक्त बैंकिंग अनुभव रखनेवाले या संबंधित व्यावसायिक अर्हतावाले कम से कम दो निदेशक नियुक्त करने की, शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश सभी वर्तमान शहरी सहकारी बैंकों के लिए लागू की गयी। सभी शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे उक्त सिफारिश को शामिल करने के लिए अपने उप-नियमों में संशोधन करें और अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2002		**III. वित्तीय क्षेत्र संबंधी उपाय** *(...जारी)*
अप्रैल	**6**	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि विशिष्ट होजियरी और दस्ती औजारों (हैंडटूल) का निर्माण करनेवाले औद्योगिक उपक्रमों के संबंध में संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा रु.'1 करोड़ से अनधिक' से बढ़ाकर 'रु.5 करोड़ से अनधिक' कर दी गई है। ऐसी इकाइयों को दिये गये अग्रिमों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत लघु उद्योग अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया जाए।
	15	• अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 30 जून, 2002 तक प्रभावी एएलएम प्रणाली लागू करें। आरंभ में, बैंकों को चाहिए कि वे इसमें अपनी देयताओं और आस्तियों के कम से कम 60 प्रतिशत कवरेज को शामिल करना सुनिश्चित करें, शेष 40 प्रतिशत के लिए बैंक अपने अनुमानों के आधार पर स्थिति दर्शा सकते हैं। प्रत्येक बैंक में आंतरिक आस्ति-देयता समिति (एल्को) का गठन करना होगा तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे।
	18	• बैंकों को सूचित किया गया था कि बेजमानती अग्रिमों और प्रत्याभूति (गारंटी) से संबंधित मानदंडों को लागू करने के लिए बेजमानती अग्रिम और प्रत्याभूति की मात्रा की गणना करते समय, बकाया क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियों को कुल बेजमानती अग्रिमों से निकाल दिया जाए।
	19	• बैंकों को सूचित किया गया कि भारी मूल्य वाले निर्यात के लिए विशेष वित्तीय पैकेज के लिए पात्र उत्पादों में एल्यूमीनियम, पेट्रोलियम उत्पाद, चीनी और अनाज को शामिल किया जाए।
	20	• चूंकि कुछ बैंकों ने निवेश लेनदेनों संबंधी रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी नियमों का पालन नहीं किया है और ऐसे लेनदेन किये हैं जिससे बैंकों को काफी जोखिम है; अतः, शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे वर्तमान मार्गदर्शी नियमों का कड़ाई से पालन करें। कुछ महत्त्वपूर्ण अनुदेश निम्नानुसार हैं : (i) शहरी सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे मूलधन से मूलधन आधार पर किसी ब्रोकिंग फर्म या अन्य मध्यस्थ संस्था से कोई खरीद/बिक्री लेनदेन न करें, (ii) शहरी सहकारी बैंकों को प्रतिपक्ष के रूप में अनुसूचित वाणिज्य बैंक या प्राथमिक व्यापारी या वित्तीय संस्था को रखने की कोशिश करनी चाहिए। यह वांछनीय होगा कि शहरी सहकारी बैंक जिन बैंकों या प्राथमिक व्यापारियों के साथ ग्राहक एसजीएल खाता रखते हैं उनसे मूल्यों की जांच पड़ताल कर लें। (iii) यदि सौदा ब्रोकर के माध्यम से किया जाता है तो उसकी भूमिका मात्र दो पक्षों को मिलाने तक ही रहनी चाहिए। बैंक किसी भी परिस्थिति में ब्रोकर/मध्यस्थ संस्था को अपनी ओर से मुद्रा और प्रतिभूति बाजार में सौदा करने के लिए अटर्नी अधिकार या अन्य कोई प्राधिकार ने दें। (iv) केवल एनएसइ या बीएसई या ओटीसीआइ में पंजीकृत ब्रोकरों से ही मध्यस्थ के रूप में कार्य लिया जाए। प्रत्येक अनुमोदित ब्रोकर की सकल उच्चतर संविदा सीमा कुल लेन देन का 5 प्रतिशत (खरीद और बिक्री दोनों) मानी जानी चाहिए। (v) सभी निवेशगत लेनदेन बोर्ड द्वारा महीने में कम से कम एक बार ध्यान से देखे जाने चाहिए।
	22	• रिज़र्व बैंक ने घोषणा की कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) की पहचान करने के लिए 30 दिन की बकाया अवधि की शर्त 31 मार्च, 2003 से समाप्त कर दी जाएगी।
		• रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा हानि आस्तियों जिनमें कंपनियों में पाए गए ऐसे उदाहरण भी शामिल हैं जो आस्तियों की वसूली के लिए खतरा हैं, की वस्तुनिष्ठ पहचान के लिए मार्गदर्शी नियम निर्धारित किये हैं ताकि गैर-निष्पादक आस्तियों का तत्काल वर्गीकरण किया जा सके और ऐसी आस्तियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जा सके।
		• यह निर्णय लिया गया कि विवरणी प्रस्तुत न करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के विरुद्ध उत्तरोत्तर कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई में पंजीकरण प्रमाणपत्र अस्वीकृत/रद्द करने के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार दण्ड लगाना तथा चूक करनेवाली कंपनी के विरुद्ध न्यायालयीन कार्रवाई करना शामिल है। आरंभ में ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के मामले हाथ में लिये जायेंगे जिनके पास रु.50 करोड़ और उससे अधिक की जनता की जमाराशियां हैं और वे विवरणी प्रस्तुत नहीं करती हैं। अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर भी यह अनुशासन यथासमय लागू किया जायेगा।
	26	• रिज़र्व बैंक ने आइसीआइसीआइ लि. का आइसीआइसीआइ बैंक लि. के साथ विलय को कतिपय शर्तों के अधीन मंजूरी दे दी है।
		• अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्रतिभूति लेनदेनों की सनदी लेखाकार से विशेष लेखा-परीक्षा करवायें और यह रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें।
	29	• बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) का निर्गम 30 जून, 2002 से अमूर्त रूप में किया जाए और फिलहाल बकाया जमाप्रमाण पत्रों का डीमैट रूप में परिवर्तन अक्तूबर 2002 तक कर लिया जाए।
		• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को सूचित किया गया कि वे प्रयोजक बैंक के पास रखी अपनी वर्तमान जमाराशियों को 31 मार्च, 2003 तक अनुमोदित प्रतिभूतियों में परिवर्तित कर लें तथा अपनी सम्पूर्ण सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) धारिताएं सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में रखें।
		• प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को और उधार देने के लिए प्रयोजक बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी गयी निधियां प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य प्राप्तियों की गणना में शामिल न की जाएं।
		• सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे लघु औद्योगिक इकाइयों के पिछले अच्छे रिकार्ड और इकाइयों की वित्तीय स्थिति के आधार पर संपार्श्विक ऋण आवश्यकताओं हेतु ऋण सीमा रु.5लाख से बढ़ाकर रु.15 लाख कर सकते हैं।
		• प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत संबद्ध गतिविधियों की निविष्टियों के वितरण के वित्तपोषण की सीमा रु.15 लाख से बढ़ाकर रु.25 लाख की गयी ।
		• प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत फसलों के विपणन (गिरवी वित्त पोषण) की ऋण सीमा रु.1 लाख से बढ़ाकर रु.5 लाख की गयी। ऐसे ऋण का चुकौती कार्यक्रम 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया।
		• बैंकों को सूचित किया गया कि 31 मार्च, 2005 से, यदि कोई आस्ति 12 महीनों तक अवमानक श्रेणी में बनी रहती है तो इसे संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा। अवमानक श्रेणी से संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत करने की अवधि 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष से प्रारंभ चार वर्ष की अवधि में 18 महीने से कम करके 12 महीने करने के फलस्वरूप किये जाने वाले अतिरिक्त प्रावधान को, जो प्रतिवर्ष न्यूनतम 20 प्रतिशत किया जायेगा, चरणबद्ध रूप से कम करने की अनुमति दी गयी।

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2002		**III. वित्तीय क्षेत्र संबंधी उपाय** *(...जारी)*
अप्रैल	**29**	• आवास वित्त निगम (एचएफसी) द्वारा जारी तथा राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा पर्यवेक्षित बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में बैंकों के निवेशों को 3.0 प्र.श. के आवास वित्त आबंटन में शामिल किया जाए।
मई	**3**	• बैंकों को सूचित किया गया था कि निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि का परिकलन दो श्रेणियों अर्थात, 'व्यापार के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' संदर्भ में करें और निवेश घट-बढ़ प्रारक्षित निधि की गणना के प्रयोजन के लिए "परिपक्वता तक धारित" के अंतर्गत निवेशों को शामिल न करें।
		• अंतरिम उपाय के रूप में, रिज़र्व बैंक कंपनी ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) के लिए कंपनी ऋण पुनर्गठन "स्थायी समूह" की विशेष सिफारिश के आधार पर तब अनुमति देगा जब सीडीआर के लिए मूल्य आधार पर उधारदाताओं में न्यूनतम 75 प्रतिशत की सहमति हो, फिर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में आस्ति वर्गीकरण के स्तर में कितना भी अंतर क्यों न हो।
		• बैंक नये बासेल प्रस्तावों की कार्य-प्रणाली तथा उनके संभावित प्रभावों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन करें।
	14	• भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआइएल) के परिचालन के साथ वित्तीय संस्थाओं (एफआइ) को संशोधित अनुदेश जारी किये गए थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट किया गया है कि हाजिर वायदा संविदाओं का निपटान भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सहभागियों के एसजीएल खाते के जरिए अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सीसीआइएल के एसजीएल खाते के जरिए किया जायेगा।
	20	• वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, प्राथमिक डीलरों, वित्तीय संस्थाओं, स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे सरकारी प्रतिभूतियां अमूर्त-रूप में रखें।
	21	• गैर-निष्पादक आस्तियों की गणना हेतु दो छमाहियों से अनधिक दो फसली मौसमों के लिए वर्तमान मानदण्ड जो केवल मौसमी कृषि फसलों के उत्पादन और विपणन के लिए और न कि बागबानी, पुष्पोत्पादन अथवा अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि कृषि फसल ऋणी के संबंध में ही लागू है, की संवीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि दो छमाहियों से अनधिक के दो उपज मौसमों का मानदंड सभी निर्दिष्ट प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के लिए लागू किया जाए।
	23	• बैंकों द्वारा विभागीय रूप में चुनिंदा शाखाओं पर उधार देने और किराया खरीद जैसी दी जानेवाली पैरा बैंकिंग सुविधाएं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र की गयी हैं बशर्ते हिताधिकारी ऐसे अग्रिमों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों की तरह मानने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड की पूर्ति करता हो।
	24	• बैंकों को यह सूचित किया गया था कि निवासीय आवास संपत्ति को बंधक रखकर दिये गये आवास ऋण पर पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य से वर्तमान में (100 प्रतिशत) जोखिम भार लगाने के बजाय 50 प्रतिशत जोखिम भार लगायें। वाणिज्यिक स्थावर संपदा (रीयल इस्टेट) के बंधक पर ऋण जोखिम भार अब तक की तरह ही 100 प्रतिशत रहेगा। आवास वित्त कंपनियों की निवासीय आस्तियों की बंधक समर्थित प्रतिभूति में बैंक के निवेश जिनका पर्यवेक्षण राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) करता है, पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य से 50 प्रतिशत जोखिम भार के लिए पात्र होंगे।
	28	• यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं से संबंधित ऋण आस्तियों का उचित रूप से वर्गीकरण किया गया था और आस्ति गुणवत्ता सही तरीके दर्शायी गयी थी, कार्यान्वयन के अधीन औद्योगिक परियोजनाएं जिनमें अधिक समय लग जाता है, के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी मानदंड जो पहले केवल वित्तीय संस्थानों पर थे अब बैंकों के लिए भी लागू किये गये हैं।
	29	• बैंकों के परिचालनों के स्वरूप और विनियामक आवश्यकताओं में एकरूपता को सुनिश्चित करने की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित लेखांकन मानकों के अनुपालन को 31 मार्च, 2002 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए केवल बैंकों के लिए ऐच्छिक बनाया जाएः घटक रिपोर्टिंग के संबंध में एएस 17, संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण के संबंध में एएस 18,समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में एएस 21 और आय कर के संबंध मे एएस 22 मानक। इस मामले पर कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर जल्द ही जारी किये जाने वाले विस्तृत मार्गदर्शी नियमों के अनुसार बैंकों को उक्त लेखांकन मानकों का अनुपालन 31 मार्च, 2003 तक करना होगा।
	30	• जान बूझकर ऋण न चुकानेवाले चूककर्ताओं के संबंध में गठित कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर 'जानबूझकर की गयी चूक' शब्द को पुनः परिभाषित किया गया था और उसकी व्याप्ति बढ़ायी गयी थी ताकि उसमें निधियों के विपथन/निधियां उड़ाने के (साइफनिंग आफ फंड्स) पहलू आजाएं। बैंक तथा वित्तीय संस्थानों को जानबूझकर ऋण न चुकानेवालों पर दाण्डिक कार्रवाई करनी आवश्यक है, जैसा कि सूचित किया गया है।
जून	**4**	• बैंकों, अखिल भारतीय अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं और राज्य वित्तीय निगमों को यह सूचित किया गया था कि 31 मार्च, 2002 को रु.1 करोड़ और उससे अधिक के वाद दायर खातें की सूची प्रस्तुत करें तथा दिसम्बर 2002 तक उसकी त्रैमासिक अद्यतन सूचना और मार्च, जून, सितम्बर तथा दिसम्बर 2002 के अंत में रु.25 लाख और उससे अधिक के ऋण जानबूझकर न चुकानेवालों के वाद दायर खातों की सूची रिज़र्व बैंक को देने के साथ-साथ ही ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लि. (सीआइबीआइएल) को 31 मार्च, 2003 तक एक वर्ष की अवधि के लिए और उसके बाद केवल सीआइबीआइएल को प्रस्तुत करें।
	6	• शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वर्तमान अनुमत प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त, वे प्रतिभूतियों में अपने लेनदेनों के लिए बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंडों और भविष्य निधियों को प्रतिपक्ष के रूप में चुन सकते हैं।
		• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों संबंधी विवेकपूर्ण मानदण्ड संशोधित किये गए (i) 'पिछला देय' की अवधारणा की समप्ति, (ii) गैर-निष्पादक आस्तियों की परिभाषा और (iii) सतत आधार पर और लेखा-परीक्षकों के प्रमाणनसहित पूंजी पर्याप्ता रखना।
	7	• ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए 'वित्तीय समापन' पद की व्याख्या में समानता सुनिश्चित करने के लिए आस्ति वर्गीकरण के उद्देश्यार्थ वित्तीय कंपनियों हेतु एक मानक परिभाषा बनायी गयी।
		• यह निर्णय लिया गया कि तत्काल प्रभाव से शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में सभी लेन-देन अनिवार्यत: एसजीएल अथवा निक्षेपागारों के पास रखे गये खातों के माध्यम से किये जायेंगे।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का कालक्रम

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2002		**III. वित्तीय क्षेत्र संबंधी उपाय** (...जारी)
जून	11	• कतिपय शहरी सहकारी बैंकों के प्रतिभूतियों के लेनदेनों में हाल ही की गतिविधियों के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया कि समवर्ती लेखा परीक्षकों को यह भी प्रमाणित करना होगा कि प्रत्येक तिमाही के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को बैंक द्वारा धारित निवेश और रिज़र्व बैंक को यथा सूचित निवेश प्रतिभूतियों अथवा कस्टोडियन के विवरण द्वारा साक्ष्यों के अनुसार उनके द्वारा वास्तविक रूप से स्वाधिकृत/धारित हैं। जिन बैंकों के पास समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है, वे उक्त प्रमाणपत्र सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा नियुक्त किसी लेखा परीक्षक द्वारा प्राप्त करके प्रस्तुत करें।
	15	• निवेशक आधार बढ़ाने के उद्देश्य से सकल निवेशक के लिए जमा प्रमाणपत्र (सीडी) की न्यूनतम मात्रा 5 लाख रुपये की वर्तमान सीमा से घटाकर एक लाख रुपये और उसके बाद 1 लाख रुपये के गुणजों में की गई।
	20	• शहरी सहकारी बैंकों को यह सूचित किया गया था कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत जो कारीगर, शिल्पी, आदि सिख, मुस्लिम, ईसाई, झोरस्ट्रियन्स तथा बुद्धिस्ट जैसे अल्प समुदायों से संबंधित हैं, के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने/वृद्धि के लिए कार्रवाई करें।
	26	• रिज़र्व बैंक ने बैंकों की तरह वित्तीय संस्थाओं के लिए 'केमल्स' माडल पर आधारित पर्यवेक्षी दर्जा निर्धारण प्रणाली शुरू की।
जुलाई	26	• अग्रिमों पर मासिक आधार पर ब्याज लगाने की प्रणाली के बारे में पूर्ववर्ती अनुदेशों के अधिक्रमण में बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 1 अप्रैल, 2002 से : (i) बैंकों को विकल्प है कि वे या तो 1 अप्रैल, 2002 से या 1 जुलाई, 2002 से या 1 अप्रैल, 2003 से मासिक अंतराल पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाएं; (ii) बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि 1 जुलाई, 2002 से शुरू होनेवाली तिमाही से मासिक अंतराल पर ब्याज लगाने/चक्रवृद्धि ब्याज की प्रणाली अपनाने के एकमात्र कारण से ही प्रभावी दर बढ़ती हैं और उधारकर्ताओं पर पड़नेवाले भार में वृद्धि होती है; (iii) मासिक अंतराल पर ब्याज लगाने के अनुदेश कृषि अग्रिमों पर लागू नहीं हैं और बैंकों को चाहिए कि वे फसल मौसम से सम्बद्ध कृषि अग्रिमों पर ब्याज लगाने/चक्र वृद्धि ब्याज की प्रचलित पद्धति जारी रखें। अन्य कृषि अग्रिमों के मामले में बैंक यह ध्यान में रखें कि ब्याज लगाने के लिए उधारकर्ता के नकदी संसाधन के आधार पर देय तारीख निर्धारित की जाती हैं।
	31	• वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि यदि लेखा परीक्षा करनेवाली फर्म लगातार 4 वर्ष से अधिक अवधि के लिए लेखा परीक्षा कराती है तो वे उसके साझेदार का रोटेशन सुनिश्चित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक ही साझेदार द्वारा लगातार चार वर्ष से अधिक अवधि के लिए लेखा परीक्षा नहीं की जाती है।
अगस्त	3	• देश के विभिन्न भागों में सूखा और बाढ़ के कारण फसलों और स्थावर संपदा के नुकसान को ध्यान में रखते हुए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को समुचित राहत प्रदान करने में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार शीघ्र कार्रवाई करें।
	8	• बैंकों की गारंटी पर मूलभूत परियोजनाओं को वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त ऋण वित्तीय संस्थाओं के उधार के जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात की गणना के लिए 20 प्रतिशत का जोखिम-भार लगाया जाएगा। उक्त 20 प्रतिशत का जोखिम-भार केवल बैंक-गारंटीगत ऋण राशि पर लगाया जाएगा और ऋण की शेष राशि, यदि है तो, उस पर सामान्यतः 100 प्रतिशत का जोखिम-भार पड़ेगा। तथापि रिज़र्व बैंक जोखिम मानदंडों के प्रयोजनार्थ, सम्पूर्ण ऋण-कारोबार लेनदेन उधारकर्ता संस्था के ऋण जोखिम के रूप में गिनी जाए न कि बैंक की गारंटीगत ऋण के रूप में। यदि निधि-सुविधा ऋण के रूप में है तो ऋण जोखिम का स्तर बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार गिना जाए।
	16	• किसी कंपनी की इक्विटी पूंजी में प्रवर्तकों का योगदान उनके अपने संसाधनों में होना चाहिए तथा सामान्य रूप से दूसरी कंपनियों के शेयरों की खरीद के लिए बैंकों को अग्रिम नहीं देना चाहिए- इस शर्त में सरकार के पीएसयू के अपनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत सफल बोलीकर्ताओं को विशिष्ट शर्तों के अधीन बैंक वित्तपोषण के मामले में छूट दी गई।
		• हाल ही की वर्तमान गतिविधियों, देशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को ध्यान में रखते हुए 'अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी)' मानदण्डों तथा नकदी लेनदेनों पर वर्तमान अनुदेशों और दिशा निर्देशों को आपराधिक गतिविधियों से अथवा आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए प्राप्त निधियों के अंतरण अथवा जमाराशियों के लिए प्रयुक्त अलिखित क्रियाओं से बैंकों को बचाने के सुरक्षोपाय की दृष्टि से पूर्ववर्ती अनुदेशों को और मजबूत बनाने के लिए पुनः जारी किया गया था। उक्त दिशा-निर्देश विदेशी मुद्रा खातों/लेनदेनों पर भी लागू किये गये हैं।
	19	• बैंकों को सूचित किया गया है कि वे उपभोक्ता माल के विनिर्माताओं/ डीलरों से प्राप्त छूट के समायोजन के माध्यम से उधारकर्ताओं को उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के अग्रिमों पर न्यूनतम/शून्य प्रतिशत की ब्याज दर पर अग्रिम देने से बचें क्योंकि ऐसी ऋण योजनाओं में परिचालनगत पारदर्शिता नहीं रहती है या खोखली होती हैं और ऋण-उत्पादों का मूल्य-निर्धारण विकृत होता है। यह भी सूचित किया गया था कि जहां ब्याज दर अस्पष्ट हो, ऐसे मामले में अपना नाम किसी भी रूप में/तरीके से प्रोत्साहन आधारित विज्ञापन से संबद्ध करने से बचें।
	23	• भारतीय बैंक संघ (आइबीए) की सिफारिश के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन बाहरी/ स्थानीय चेकों की तत्काल जमा की सीमा रु.7,500 से बढ़ाकर रु.15,000 तक कर दी जाए।
	31	• वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया था कि वे तत्काल प्रभाव से (i) रिहाइशी आवास संपदा को बंधक रखकर व्यक्तियों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त आवास ऋणों पर 50 प्रतिशत का जोखिम भार लगायें (विद्यमान 100 प्रतिशत के स्थान पर), और (ii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में वित्तीय संस्थाओं के निवेशों पर 50 प्रतिशत का जोखिम भार लगाना होगा (बाजार जोखिम के लिए 2.5 प्रतिशत के जोखिम भार के अतिरिक्त), बशर्ते बंधक समर्थित प्रतिभूतिगत उक्त आस्तियां आवास वित्त कम्पनियों (एचएफसी) की आवासीय ऋण आस्तियां होनी चाहिए जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त और पर्यवेक्षित हो और एमबीएस कतिपय अन्य शर्तों को पूरा करती हों।

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2002		**III. वित्तीय क्षेत्र संबंधी उपाय** *(...जारी)*
अगस्त	31	• अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार के वित्तपोषण हेतु दिए जाने वाले अग्रिमों को ''कृषि के अंतर्गत प्रत्यक्ष वित्त'' के रूप में वर्गीकृत करें।
सितंबर	2	• समेकित पर्यवेक्षण हेतु प्रस्तावित पर्यवेक्षी ढांचे से संबंधित मार्गदर्शी नियमों के प्रारूप का एक सेट वित्तीय संस्थाओं को जारी किया गया है जिसमें तीन निम्नलिखित घटकों की परिकल्पना की गयी है (क) समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस), (ख) समेकित विवेकसम्मत विवरणियां (सीपीआर), और (ग) पूँजी पर्याप्तता, बड़े निवेश जोखिमों (एक्सपोज़र) और चलनिधि अंतरालों जैसे विवेकसम्मत विनियमों का समूहवार आधार पर अनुप्रयोग। इस विषय पर अंतिम मार्गदर्शी नियम 1 अगस्त, 2003 को जारी किये गये हैं।
	14	• विद्यमान मानदण्डों के अनुसार श्रेणी II (रु.100 करोड़ या उससे अधिक की मूल लागत वाली परियोजनाएं) के अंतर्गत आनेवाली परियोजनाओं का आस्ति वर्गीकरण ऐसी परियोजनाओं के 'पूरी होने की संभावित तारीख', जो किसी स्वतंत्र समूह द्वारा निर्धारित की गयी हो, के संदर्भानुसार निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। अब एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में खातों के संबंध में वित्तीय संस्थाओं द्वारा किये गये प्रावधानों को ऐसे मामलों में भी पलटा नहीं जाना चाहिए जहाँ, श्रेणी II परियोजनाओं के पूरी होने की संभावित तारीख के अनुसार खाते मानक श्रेणी में कोटि उन्नयन के लिए पात्र हो गये हों।
अक्तूबर	1	• गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों से अपेक्षित है कि वे एससीबी/ एसएचसीआइएल के सीएसजीएल खाते में अथवा सेबी में पंजीकृत निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) सहभागी के माध्यम से निक्षेपागारों (एनएसडीएल/ सीडीएसएल) के पास अमूर्त खाते में अनिवार्यतः सरकारी प्रतिभूतियों में अपने निवेश रखें तथा मूर्त रूप में धारित अमूर्त सरकारी प्रतिभूतियाँ को 31 अक्तूबर, 2002 तक अमूर्त रूप में कर लें । सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद / बिक्री संबंधी सभी लेनदेन अनिवार्य रूप से सीएसजीएल/ डीमैट खातों से ही किये जाएंगे। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उपर्युक्त किसी भी संगठन में डीमैट/ एसजीएल खाता खोलने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं है परन्तु खाता खोलने के एक सप्ताह के भीतर खाते से संबंधित विवरण रिज़र्व बैंक से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को देना अनिवार्य है।
		• जमाकर्ताओं के बचाव/सुरक्षोपाय के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे अपने विज्ञापनों अथवा विज्ञापन *की जगह* जारी किये जाने वाले विवरणों में इस तथ्य को शामिल करें कि उनके द्वारा संग्रहीत जमाराशि बीमाकृत नहीं है।
		• 31 मार्च, 2002 को तथा उसके बाद 50 करोड़ रुपये और अधिक की जनता जमाराशियां धारित करनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों तथा 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक की जमाकर्ताओं की कुल देयताओं वाली आरएनबी कम्पनियों के पूंजी बाजार में उनके निवेश से संबंधित सूचना प्रत्येक तिमाही विवरणी में संबंधित तिमाही की समाप्ति से एक माह के भीतर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया था।
	12	• बैंकों को अपनी ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली अद्यतन करने के लिए ऋण-जोखिम तथा बाजार जोखिम प्रबंधन संबंधी संशोधित मार्गदर्शी टिप्पणियों का उपयोग करने के लिए सूचित किया गया था। जोखिम प्रबंध ढांचे का डिज़ाइन, बैंक के अपने आकार, व्यवसाय की जटिलता, जोखिम-मानसिकता, बाजार-बोधगम्यता तथा पूंजी के प्रत्याशित स्तर द्वारा निर्धारित होना चाहिए और इसमें व्यवसाय आकार में परिवर्तन, बाजार गतिशीलता एवं आगामी उत्पाद नवीनता को अपनाने की क्षमता होनी चाहिए।
	18	• रिपोर्ट करने में एकरूपता रखने के उद्देश्य से धोखाधड़ियां मुख्यतः भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के आधार पर वर्गीकृत की गयी हैं जैसे : (क) दुर्विनियोजन और आपराधिक विश्वास-भंग (ख) जाली लिखतों द्वारा खाता-बहियों में हेराफेरी के माध्यम से अथवा तथा जाली/नकली खातों व संपत्ति परिवर्तन के माध्यम से कपटपूर्ण नकदीकरण, (ग) प्रतिफल अथवा अवैध परितोषण के लिए दी गयी अनधिकृत ऋण सुविधाएं, (घ) लापरवाही और नकदी में कमी, (ङ) ठगी और जालसाजी तथा (च) विदेशी मुद्रा लेनदेनों में अनियमितता।
	21	• बैंकों को सूचित किया गया था कि वे प्रत्येक बैंक के बोर्ड बैंकिंग प्रणाली के संबंध में उधारकर्ता संस्थाओं के समग्र ऋण के संदर्भ में एक यथोचित उच्चतम सीमा निर्धारित करें जिस के ऊपर सनदी लेखाकारों द्वारा उधारकर्ताओं के खातों की लेखा-परीक्षा अनिवार्य हो जाएगी।
	29	• नयी पूंजी समझौता के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए बासेल समिति द्वारा किये जा रहे आयोति किये जताने वाले परिमाणात्मक प्रभाव का अध्ययन (क्यूआइएस) में सहभागी होने के लिए रिज़र्व बैंक ने सात बैंकों (तीन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, दो नये निजी क्षेत्र के बैंक और दो पुराने निजी क्षेत्र के बैंक) के एक समूह का गठन किया है।
		• 31 मार्च, 2003 से के बाद परिपक्व होने वाली प्रायोजक बैंकों के पास जमाराशियों के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) धारिताओं को परिपक्वता अवधि तक यथावत रखने की अनुमति दी गयी। यदि संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उक्त समय सीमा में सरकारी प्रतिभूतियों में सांविधिक चलनिधि अनुपात के 25 प्रतिशत का न्यूनतम स्तर प्राप्त नहीं कर लेता है तो ऐसी स्थिति में परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर उक्त जमाराशियों को सरकारी प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जा सकता है।
		• बैंकों को आइआरडीए और रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से अपने शाखा नेटवर्क के माध्यम से परामर्शी व्यवसाय करने की अनुमति दी गयी।
		• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/स्थानीय क्षेत्र बैंकों तथा सहकारी बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बचत बैंक खातों पर देय ब्याज से अधिक ब्याज न दें। सहकारी बैंकों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया गया कि वे चालू खातों पर कोई ब्याज न दें।
		• गैर-जमानती गारंटियाँ और अग्रिमों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्डों की गणना के प्रयोजन से स्व-सहायता समूह - बैंक संबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक गारंटी की जमानत पर स्व-सहायता समूहों को दिये गये गैर-जमानती अग्रिमों को, कुल गैर जमानती अग्रिमों से निकाल दिया जाएगा। इस सुविधा की एक वर्ष के बाद समीक्षा की जायेगी।

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2002		**III. वित्तीय क्षेत्र संबंधी उपाय** *(...जारी)*
अक्तूबर	29	• मार्च 2003 से अनु. शहरी सहकारी बैंकों के लिए कैमल्स आधारित पर्यवेक्षी श्रेणी-निर्धारण प्रणाली को प्रयोग/परीक्षण आधार पर कार्यान्वित की जानी है।
		• 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष से ऋण हानि निर्धारण के लिए 90 दिनों को मानदण्ड राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों पर लागू किया गया। राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक 1 अप्रैल, 2004 से पुरानी प्रथा छोड़कर मासिक आधार पर ब्याज लगाना प्रारंभ करेंगे।
		• विभिन्न प्रकार के अग्रिमों पर ब्याज दर लगाने की पद्धति स्पष्ट करनेवाले समेकित अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।
		• सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों को निदेश दिया गया कि कृषि के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित ड्रिप सिंचाई स्प्रिंकलर सिंचाई / कृषि संबंधी मशीनरी के डीलरों को दिए जानेवाले अग्रिम की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गयी थी। 'कमजोर वर्गों' के लिए अग्रिम के अंतर्गत काश्तकारों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के लिए व्यक्तिगत ऋण की सीमा 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गयी।
नवंबर	11	• बैंकों द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसइज़ेड) में अपतटीय बैंकिंग इकाइयों की स्थापना के लिए रिज़र्व बैंक ने एक योजना तैयार की है।
	15	• सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे चालू वर्ष के दौरान खरीफ फसलों के ऋण संबंधी मूलधन अथवा ब्याज की वसूली न करें। मूलधन को मीयादी ऋण में बदले तथा ब्याज की वसूली आस्थगित रखें। आस्थगित ब्याज पर कोई प्रभार नहीं किया जाएगा।
	25	• बैंक और वित्तीय संस्थाएं सचल दर पर जमा प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं बशर्ते सचल दर की गणना पद्धति वस्तुनिष्ठ पारदर्शी और बाजार आधारित हो।
दिसम्बर	4	• शहरी सहकारी बैंकों के निदेशकों, उनके रिश्तेदारों तथा उन कम्पनियों को जिनमें उनके हित हैं को दिये जानेवाले ऋण और अग्रिमों की समग्र उच्चतम सीमा मीयादी और मांग देयताओं को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गयी । ऐसे बैंक, जिनके ऐसे ऋणों का बकाया 30 सितंबर, 2002 को अथवा उसके बाद उक्त ऋण की बकाया राशि उनकी मीयादी और मांग देयताओं के 5 प्रतिशत से अधिक है, उन्हें यह निदेश दिया गया कि विद्यमान सुविधाओं के तहत इस प्रकार के किसी भी नये ऋण/नवीकरण की अनुमति न दें तथा इन्हें 31 मार्च, 2003 तक 5 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर ले आएं।
	13	• भारत में कार्यरत सभी विदेशी बैंकों को सूचित किया गया कि वे उनकी विदेशी शाखाओं की गारंटी से समर्थन प्राप्त गैर-जमानती अग्रिमों को गैर-जमानती गारंटियों और अग्रिमों की सीमा की गणना के प्रयोजन से हिसाब में न जोड़ें।
	14	• बैंकों को राज्य-सरकारों द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी अनुदानों/आर्थिक सहायता से संबंधित राज्य सरकार के विभागों/निकायों/एजेन्सियों के नाम से बचत खाता खोलने की अनुमति दी गयी।
	19	• कंप्यूटर लेखा-परीक्षा संबंधी समिति की सिफारिशों के आधार पर सूचना प्रणाली (आइएस) परिवेश में लेखा-परीक्षा हित के संभावित क्षेत्रों के रूप में 15 व्यापक श्रेणियों तथा प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत एक मानकीकृत जाँच बिन्दुओं की पहचान की गयी है ताकि कंप्यूटर लेखा-परीक्षा का संचालन सहज हो सके। इसे तैयार कर लिया गया है और वित्तीय संस्थाओं को भेज दिया गया है। जाँच बिन्दु में उल्लिखित मुद्दे नियंत्रण के क्षेत्रों के संबंध में स्पष्ट राय देते हैं। तथापि ये जाँच बिन्दु केवल दिशा-निदेश की प्रकृति के हैं तथा एफआइ अधिक व्यापक जाँच बिन्दुओं का विकास करने के लिए स्वतंत्र है ताकि सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश जिसमें वे कार्य करते हैं तथा कार्य करने का विचार करते हैं, की उपयुक्त आइएस लेखापरीक्षा की जा सके।
	21	• संबद्ध उधारों के संबंध में रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से वित्तीय संस्थाओं को दिशा-निर्देश जारी किये।
		• तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया था। इस योजना की समीक्षा दिसम्बर 2003 में की जाएगी। सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को निदेश दिये गये कि वे इस योजना को अपने संबंधित बोर्ड के निदेशकों के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका बैंक तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई योजना के दायरे में नहीं आता है। तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे में निर्दिष्ट सुधारात्मक कार्रवाई के अलावा कोई अन्य यथावश्यक कार्रवाई करने के लिए रिज़र्व बैंक को योजना पर कोई रोक नहीं है।
	27	• सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निदेश दिया गया कि वे पहले वर्ष के एकबारगी उपाय के रूप में खरीफ ऋण संबंधी ब्याज देयता (20 प्रतिशत) को आस्थगित करें।
		• बैंकों को, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रारंभ करने संबंधी एक कार्य-योजना की रूपरेखा तैयार के लिए सूचित किया था कि वे एक कार्यदल बरायें जिसमें वरिष्ठ कार्यपालकों को शामिल किया गया हो। जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा के कार्यान्वयन पर एक तिमाही प्रगति रिपोर्ट 31 मार्च, 2003 को समाप्त तिमाही से रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जानी है।
2003		
जनवरी	20	• वैयक्तिक/समूह उधारकर्ता की जोखिम सीमा निर्धारित करने के लिए डेरिवेटिव्ज में अंतर्निहित ऋण जोखिम सीमा की गणना करने की दो पद्धतियों अर्थात मूल जोखिम सीमा पद्धति और वर्तमान जोखिम सीमा पद्धति में से वर्तमान जोखिम सीमा पद्धति अपनाने के लिए बैंकों को प्रेरित किया गया।
	24	• वास्तविक वाणिज्यिक/व्यापार बिलों की खरीद/ भुनाई/बेचान/पुनर्भुनाई करते समय उधारकर्ता की कार्यशील पूंजी सीमाओं का/के मूल्यांकन/मंजूर करने के लिए बैंकों को अपने स्वयं के दिशा-निर्देश निश्चित करने के लिए स्वतंत्रता दी गयी। उन्हें उधारकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं का उचित मूल्यांकन करने के बाद और अपने निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित ऋण नीति के अनुसार उधारकर्ताओं को कार्यशील पूंजी सीमा और बिल सीमा मंजूर करने की अनुमति दी गयी।

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2003		**III. वित्तीय क्षेत्र संबंधी उपाय** *(...जारी)*
जनवरी	24	• वास्तविक वाणिज्यिक बिलों की खरीद/भुनाई/बेचान/पुनर्भुनाई के लिए पूर्ववर्ती अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए संशोधित दिशा-निर्देश निर्धारित करके बैंकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये।
	29	• 10 करोड़ रुपये से कम की दीर्घकालिक अनुत्पादक आस्तियों के समझौता निपटान के लिए सरलीकत, गैर-विवेकाधीन और गैर-विभेदात्मक प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किये गये। निर्धारित समय में देयताओं की अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को एकसमान रूप में दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन करने का निदेश दिया गया। इन दिशा-निर्देशों में जान-बूझकर चूक, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले शामिल नहीं हैं।
फरवरी	4	• मूलभूत सुवधि परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये । इन दिशा-निर्देशों में मूलभूत सुविधा के लिए उधार देने की परिभाषा, वित्तपोषण के लिए विशेष मानदण्ड, बैंकों द्वारा किये जानेवाले वित्तपोषण के प्रकार, परियोजना मूल्यांकन और प्रशासनिक प्रबंध की पद्धति, तथा विवेकपूर्ण निवेश जोखिम सीमा, पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्यों और आस्ति देयता प्रबंध के लिए जोखिम भार दिये गये हैं।
	5	• केन्द्रीय बजट 2002-03 में की गयी घोषणा के अनुसार कम्पनी ऋण पुनर्गठन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कंपनी ऋण पुनर्गठन के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गये। संशोधित दिशा-निर्देशों में ऋण पुनर्गठन प्रणाली के अंतर्गत ऋण पुनर्गठन की दो श्रेणियां दी गयी हैं - एक है 'मानक' और 'अव-मानक' खातों के लिए (श्रेणी 1) और दूसरी है 'संदिग्ध' खातों के लिए (श्रेणी 2)।
	19	• देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम के प्रबंध और उसके लिए प्रावधान करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये। ये दिशा-निर्देश केवल ऐसे देशों के बारे में लागू हैं जहाँ बैंक की निवल निधियन जोखिम सीमा अपनी कुल आस्तियों के दो प्रतिशत या अधिक है। इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में बैंकों के अनुभव को ध्यान में लेते हुए एक वर्ष के बाद उनकी समीक्षा की जायेगी।
	23	• वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के बारे में अंतिम दिशा-निर्देश जारी किये गये। ये दिशा-निर्देश और निदेश प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए पंजीकरण, स्वाधिकृत निधि, अनुमत कारोबार, परिचालनात्मक संरचना, अधिशेष निधियों का विनियोजन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, विवेकपूर्ण मानदण्ड और प्रकटीकरण आवश्यकताओं से संबंधित हैं। रिजर्व बैंक ने आस्तियों के अभिग्रहण, प्रतिभूति रसीद आदि जारी करने के संबंध में सिफारिशी स्वरूप के मार्गदर्शी नोट भी जारी किये। प्रबंध का भार लेने, उधारकर्ता के कारोबार को पूर्णतः या अंशतः बेचने या पट्टे पर देने के संबंध में मानक दिशा-निर्देश तैयार किये जा रहे हैं।
	25	• समेकित पर्यवेक्षण में सुविधा होने की दृष्टि से समेकित लेखा और अन्य मात्रात्मक पद्धतियों के संबंध में बैंकों को अंतिम दिशा-निर्देश जारी किये गये। बैंकों को सूचित किया गया कि वे इन दिशा-निर्देशों को निदेशक मंडल के सामने रखें और 31 मार्च, 2003 को समाप्त होनेवाले वर्ष से उनके कड़े अनुपालन को सुनिश्चित करें।
	26	• बैंकों को अंतर-शाखा खाता में निवल नामे शेष के आधार पर प्रावधान करने के लिए अनुमत समय 31 मार्च, 2004 को समाप्त होनेवाले वर्ष से एक वर्ष से घटाकर छह महीने करना है।
	27	• बैंकों को सूचित किया गया कि वे निर्माणाधीन परियोजनाओं की तीन श्रेणियों के बारे में, जिन्हें मई 2002 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, प्रोद्भूत आधार पर आय का निर्धारण करें।
मार्च	3	• एनबीएफसी (चिट फंड कंपनी और निधि कंपनी सहित) द्वारा जमा पर देय ब्याज दरों की उच्चतम सीमा संशोधित करके 4 मार्च, 2003 से 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम करके 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की गयी। नई दर नई लोक जमा और अवधि पूर्ण हुई लोक जमाओं के नवीकरण पर लागू होगी। जिस समय अंतराल पर ब्याज की गणना की जायेगी, दलाली की दर, आदि से संबंधित अन्य शर्तें अपरिवर्तित हैं।
	21	• भारत सरकार के परामर्श से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के लिए बैंक वित्त से संबंधित दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गयी और ऐसे विनिवेशों से संबंधित शेयरों की अवरूद्धता अवधि के बारे में नये दिशा-निर्देश जारी किये गये।
	29	• विनियामकों, जमाकर्ताओं तथा तुलनपत्र के अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा निर्णय लेने में सुविधा होने की दृष्टि से एनबीएफसी (चाहे वह लोक जमा धारित करती हो या नहीं) को निदेश दिया गया कि वे 31 मार्च, 2003 के और उसके बाद से रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुसार तुलनपत्र के साथ सम्बद्ध अनुसूची में अतिरिक्त ब्यौरे दें।
	31	• अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों (आरएनबीसी) के अपने जमाकर्ताओं के लिए प्रतिलाभ के न्यूनतम दर के भुगतान में 1 अप्रैल, 2003 से दैनिक जमाराशियों पर 3.5 प्रतिशत और अन्य जमाराशियों पर 5 प्रतिशत तक संशोधन किया गया।
अप्रैल	8	• विदेश में भारतीय संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगियों को ऑफर ऋण/ऋणोत्तर सुविधाओं के लिए बैंकों के लिए जो सीमा निर्धारित की गई थी वह अनइम्पेयर्ड टीयर I - पूँजी का 5 प्रतिशत से बैंकों की अनइम्पेयर्ड पूँजीगत निधियों (टीयर I तथा टीयर II पूँजी) का 10 प्रतिशत तक बढ़ायी गयी।
	23	• रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतिकरण कंपनियों तथा पुनर्निर्माण कंपनियों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निमाण और प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अधीन बैंक से पंजीकरण प्राप्त करने के लिए कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्त और निदेश जारी किये है।
	29	• जब प्रारक्षित निधि में निवेशगत घट-बढ़ (आइएफआर) को टीयर II पूँजी के रूप में समझा जाना पूर्ववत बना रहेगा तो वह कुल जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की सीमा के अधीन नहीं होगा। तथापि, पूँजी पर्याप्तता मानदण्डों के अनुपालन के प्रयोजनार्थ आइएफआर सहित टीयर - II पूँजी को कुल टीयर I पूँजी का 100 प्रतिशत के अधिकतम माना जाए। उक्त व्यवस्था 31 मार्च, 2003 से लागू होगी।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का कालक्रम

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2003		**III. वित्तीय क्षेत्र संबंधी उपाय** *(...जारी)*
अप्रैल	**29**	• ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी केंद्रों में शाखाओं को पारस्परिक करार द्वारा एक वाणिज्यिक बैंक से अन्य वाणिज्यिक बैंक में अंतरित करने के लिए प्राप्त किसी भी प्रस्ताव पर रिजर्व बैंक द्वारा अनुग्रह पूर्वक विचार किया जाएगा। बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि ऐसे पारस्परिक रूप से सहमत हुए स्थानांतरणों का उस क्षेत्र में उपलब्ध बैंकिंग सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।
		• बैंकों को यह सूचित किया गया कि अपनी अनर्जक आस्तियाँ, विशेषतः उन आस्तियों के लिए जिन्हें प्रतिभूतिकरण/पुनर्निमाण कंपनियों को बेचने का उनका प्रस्ताव है, के लिए प्रावधान करें जो न्यूनतम विनियामक आवश्यकताओं से अधिक हो।
		• ड्रिप सिंचाई / छिड़काव (स्प्रिंकलर) सिंचाई प्रणाली / कृषि मशीनरी के व्यापारी भले ही वे चाहे जिस स्थान पर हो, कृषि के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के अंतर्गत अग्रिमों के लिए पात्र होंगे।
		• बैंक अपनी बोर्ड की अनुमति के साथ ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आवास क्षेत्र को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंश के रूप में 10 लाख रुपये तक सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।
		• शहरी सहकारी बैंकों को 1 लाख रुपये तक स्वर्ण ऋण तथा लघु ऋण दोनों को 90 दिनों के मापदण्ड से ऋण क्षरण की पहचान के लिए छूट हेतु अनुमति दी गई है। अतः ये ऋण 31 मार्च, 2004 के बाद भी अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण के लिए 180 दिवसों द्वारा नियमित होने के लिए जारी होंगे।
		• शहरी सहकारी बैंकों को सुदृढ़ अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (कमज़ोर या बीमार के रूप में वर्गीकृत बैंकों को छोड़कर) के पास कतिपय शर्तों के साथ जमाराशियाँ रखने की अनुमति दी गई।
		• शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये असुरक्षित अग्रिमों की सीमा, कमजोर/बीमार शहरी सहकारी बैंकों के मामले में छोड़कर, संशोधित की गई किसी शहरी सहकारी बैंकों द्वारा समग्र रूप से प्रदान असुरक्षित अग्रिमों की कुल राशियाँ, बैंक की माँग मीयाद देयताओं (डीटीएल) की $33^{1\backslash 3}$ प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर होना बना रहेगा।
		• शहरी सहकारी बैंकों को निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शायी गयी असंगतियों को पूर्णतयः दूर करने के लिए निरीक्षण रिपोर्ट की तारीख से छह माह तक की अधिकतम अवधि दी गयी है, जिसके न करने पर रिजर्व बैंक दाण्डिक प्रावधान का उपयोग कर सकता है।
		• सभी शहरी सहकारी बैंकों को तत्काल प्रभाव से संगामी लेखा परीक्षा शुरू की जानी है।
		• शहरी सहकारी बैंकों को यह निदेश दिया गया कि अपने निदेशकों, उनके रिश्तेदारों तथा फर्मों/संस्थाओं/कंपनियों जिसमें उनकी रुचि है, को ऋण और अग्रिम (सुरक्षित और असुरक्षित दोनों) प्रदान न करें। 29 अप्रैल, 2003 को या उसके पहले दिये गये विद्यमान अग्रिमों का नवीकरण या आगे बढ़ाया न जाये।
	30	• कंपनियों को समाहित गैर बैंक संस्थाओं को वाणिज्यिक पत्रों के जारीकरण हेतु ऋण वृद्धि के लिए शर्तरहित और अविकल्पी गारंटी प्रदान करने की अनुमति दी गयी। इसके अलावा बैंकों को गैर बैंक संस्थाओं द्वारा गारंटीकृत वाणिज्यिक पत्रों में निवेश करने की अनुमति दी गई है बशर्ते कि उनके निवेश असुरक्षित निवेशों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विहित विनियामक सीमा के भीतर हो।
मई	**5**	• बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को सलाह दी गयी कि वे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्यापक दिशानिर्देश अपनाएं तथा शर्तों और निबंधनों में परिवर्तन और संवितरण पश्चात पर्यवेक्षण सहित ऋण के आवेदन और उस पर कार्रवाई, ऋण मूल्यांकन तथा शर्तों/निबंधनों, ऋण के संवितरण से संबंधित उचित संव्यवहार संहिता बनाएं।
	14	• शहरी सहकारी बैंकों द्वारा ड्रिप (निपात) सिंचाई/स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई प्रणालियों और कृषि संबंधी उपकरणों के व्यापारियों को दिया गया प्रति व्यापारी 20 लाख रुपए तक के ऋण को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण के भाग के रूप में 'कृषि क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण के भाग के रूप में बैंक शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में भी 10 लाख रुपए तक प्रत्यक्ष आवास ऋण दे सकते हैं।
	30	• पुरानी गैर-निष्पादक आस्तियों के समझौतापूर्वक निपटारे के लिए संशोधित दिशा-निदेश जारी किए गए। भारत सरकार के परामर्श से संशोधित एकबारगी समाधान (ओटीएस) योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2003 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2002 तथा बैंकों द्वारा इन आवेदनों पर कार्रवाई की तिथि 31 अक्तूबर, 2003 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2003 कर दी गयी है।
जून	**3**	• बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को ब्याज दर जोखिमों के प्रति अपने निवेश के प्रबंध में सक्षम बनाने के लिए यह अनुमति दी गयी कि वे चरणबद्ध रूप में विनिमय दर से निर्धारित ब्याज दर व्युत्पन्नियों में कारोबार करें।
	20	• बैंकिंग सर्वेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रस्तुत की जानेवाली निवेश संविभाग (पोर्टफोलियो) की छमाही समीक्षा में खज़ाना लेनदेनों की समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में पायी गयी प्रमुख अनियमितताओं तथा उनके साथ अनुपालन की स्थिति को भी शामिल की जानी चाहिए।
	26	• चेकों का भुगतान न होने (डिस्ऑनर) की समस्या से निपटने के लिए बैंकों द्वारा अपनायी जानेवाली प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए बैंकों को अतिरिक्त अनुदेश जारी किए गए जिसमें अपर्याप्त निधि के कारण चेकों का भुगतान न होने के सभी मामले सम्मिलित हैं। अनुदेशों में यह भी अपेक्षित है कि चेकों का बार-बार भुगतान न होने के मामले को बैंक सख्ती से निपटाएं। इसके साथ ही, बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे एक करोड़ और अधिक की राशि के उन सभी चेकों का डेटाबेस बनाएं जिनका भुगतान नहीं हुआ है तथा यह उनके एमआइएस का हिस्सा बने।
जुलाई	**8**	• प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को जो एनडीएस/सीसीआइएल व्यवस्था के सदस्य नहीं है, निदेश दिया गया कि वे एनडीएस के सदस्य (बैंकों) के गिल्ट खाता/डिमैट खाता के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन करें।

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2003		**III. वित्तीय क्षेत्र संबंधी उपाय** *(...समाप्त)*
जुलाई	**8**	• भारत सरकार के ऋण पुनःखरीद कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार को बेची गयी केवल चुनिंदा प्रतिभूतियों के संदर्भ में, एकबारगी उपाय के रूप में प्रतिभूतियों की बिक्री से लाभ को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से 'पूंजी प्रारक्षित खाता' में आबंटन की अपेक्षाओं से बैंकों को छूट दी गयी है।
	19	• बैंकों के समाशोधन समायोजन खाता में लंबे समय से लंबित बकाया प्रविष्टियों का स्तर कम करने के मद्देनजर उन्हें एकबारगी उपाय के रूप में अनुमति दी गयी है कि 500 रुपए तक "भुगतान के योग्य" समाशोधन अंतरोंवाली प्रविष्टियों में से 'प्राप्य' (प्राप्ति के योग्य) समाशोधन अंतरोंवाली प्रविष्टियों को घटा लें जो 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं
	31	• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियामक संरचना में संशोधन किया गया ताकि उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्गमित दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गमित दिनांकित प्रतिभूतियों में हाजिर वायदा संविदाओं की अनुमति दी जा सके।
		IV. पूँजी बाजार नीतियां
		(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)
2002		
मई	**9**	• सेबी ने म्युचुअल फंड (एमएफ) स्कीमों के निवल आस्ति मूल्यों की गणना में एकरूपता लाने के लिए असूचीबद्ध इक्विटी शेयर के मूल्यन के लिए दिशा-निदेश जारी किए ।
	10	• सेबी ने सूचीकरण करार की धारा 41 में संशोधन करते हुए यह अपेक्षा की है कि जिन कंपनियों ने पूरे वर्ष के लेखापरीक्षित परिणामों को 3 माह के भीतर (पिछली तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित परिणामों को 30 दिन के भीतर प्रकाशित करने के स्थान पर) प्रकाशित करना स्वीकार किया है उन्हें वार्षिक लेखापरीक्षित परिणामों को एक निर्धारित फार्मेट में प्रकाशित करना होगा। कंपनियों से यह भी अपेक्षित होगा कि वे अलेखापरीक्षित/लेखा परीक्षित वित्तीय परणािमों में लेखा परीक्षा अर्हताओं को, लाभ या हानि पर उसके प्रभावों के स्पष्टीकरण सहित उन्हें दूर किए जाने की अनुमानित तारीख प्रकट करें।
जून	**19**	• सेबी ने यह स्पष्ट किया है कि केंद्रीय बजट 2002-03 में आस्ति प्रबंधन कंपनियों के प्रबंधन शुल्कों पर लगाये गये पांच प्रतिशत के सेवा प्रभार को इकाई धारकों पर कोई अतिरिक्त भार लगाये बिना योजनाओं पर सामान्य व्यय की एक मद के रूप में लगा सकते हैं।
	20	• सेबी ने यह निर्धारित किया है कि सभी म्युच्युअल फंड सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित लेनदेन केवल डीमैट रूप में दर्ज करें।
		• सेबी ने म्युचुअल फंड को यह सूचित किया है कि योजनाओं की परिपक्वता/समाप्ति के समय अनिष्पादित अथवा जरूरत पर नकदी रूप में सरलता से परिणत न होनेवाली परिसंपत्तियाँ किंतु जिन्हें योजना की समाप्ति के बाद दो वर्षों के भीतर वसूल किया है तो उन्हें पुराने निवेशकों बीच वितरित की जानी चाहिए यदि राशि पर्याप्त रूप में हो। राशि पर्याप्त न होने के मामले में अथवा दो वर्षों के बाद वसूल करने पर उसे हर म्युच्युअल फंड द्वारा बनाये रखे निवेशक शैक्षिक निधि में अंतरित किया जाये।
		• सेबी ने यह स्पष्ट किया है कि न्यास कंपनियों, आस्ति प्रबंधन कंपनियों तथा उनके कर्मचारियों एवं निदेशकों को सेबी (आंतरिक कारोबार) (संशोधन) विनियमवली, 2002 का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
		• सेबी ने स्टाक एक्स्चेंजों को यह सूचित किया है कि सेबी द्वारा बनाये रखे इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्फारमेशन फाइलिंग और रिट्रीवल (इडीआइएफआर) वेबसाइट पर निर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कंपनियों की आवश्यकता हेतु सूचीकरण संशोधित करें।
	26	• सेबी ने यह स्पष्ट किया कि जो निवेशक पंजीकृत उप दलाल द्वारा सदस्य दलाल के साथ कारोबार करते हैं वे भी सदस्य दलाल के ग्राहक हैं। इस प्रकार सदस्य दलाल के चूक के मामले में पंजीकृत उप-दलालों के ग्राहक चूक किये सदस्य दलाल के खिलाफ़ निवेश संरक्षण निधि (आइपीएफ)। ग्राहक-संरक्षण निधि (सीपीएफ) से हर्जाना के लिए दावा करने के लिए भी पात्र होंगे।
जुलाई	**4**	• डिपॉजिटरी रसीदों के रूपांतरण पर जारी किये गये विचारधीन शेयरों के सुलभ रिकार्ड सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी शेयरों को संबंधित निवेश के एक पृथक डिपॉजिटरी रसीद खाता (डीआरएस) में अधिदेशात्मक रूप से जमा किया जाए।
	22	• सेबी ने यह निर्णय लिया है कि सभी म्युच्युअल फंड को म्युच्युअल फंड यूनिटों की बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य के परिकलन के लिए एक समान पद्धति का उपयोग करना चाहिए।
	30	• सेबी ने सेबी (म्युचुअल फंड) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2002 अधिसूचित की है जिसमें अपेक्षा की गई है कि न्यास प्रलेख में यह उल्लेख हो कि न्यासीयों की बैठक प्रत्येक दो कैलेण्डर माह में कम से कम एक बार होनी चाहिए और प्रति वर्ष ऐसी छह बैठकों का आयोजन होना चाहिए। सेबी ने निवल परिसंपत्ति मूल्य के परिकलन में लेनदेनों के रिकार्ड रखे न जाने के कारण विसंगतियों के मामले में निवेशकों को/से भुगतान और वसूली हेतु तौर-तरीके दिये गये हैं।
अगस्त	**22**	• व्यापारी आंकड़े (डाटा) दूसरों को उजागर (पता) होने के बारे में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) से प्राप्त अभिवेदन के अनुसरण में सेबी ने सभी स्टाक एक्स्चेंजों को यह निदेश दिया कि वे अपने कर्मचारियों से फिर से कहें कि उनके लिए आचार संहिता का पालन करना और सौदों एवं व्यापारी आंकड़ों की गोपनीयता बनाए रखनी आवश्यक है।
	28	• सेबी ने स्टाक एक्स्चेंजों को यह निदेश दिया कि वे संदर्भ दर्ज करने की तिथि अर्थात् पहली बैठक में हुई पंचाट न्यायाधिकरण की तिथि से तीन माह के भीतर-शीध्र पंचाट के लिए अपने उप-विधियों में संशोधन करें। पंचाट बनाने के लिए ली जानेवाली समयावधि तीन बार से अधिक नहीं बढ़ानी चाहिए और अपवादात्मक मामलों में ही कोई और स्थगन प्रदान किया जाना चाहिए।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का कालक्रम

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2002		**IV. पूँजी बाजार नीतियां** *(...जारी)*
अगस्त	**29**	• म्युचुअल फंड में कंपनी संचालन में सुधार लाने की दृष्टि से सेबी ने स्पष्ट किया है कि म्युचुअल फंड, एएमसी, न्यास कंपनी के लिए किसी भी प्रकार की व्यावसायिक सेवा उपलब्ध करानेवाले व्यक्तियों और प्रवर्तकों को एएमसी या न्यास कंपनी के सहयोगी निदेशकों के रूप में समझना चाहिए और इन संस्थाओं के साथ कोई महत्त्वपूर्ण आर्थिक संबंध रखनेवाले व्यक्तियों, जो न्यासी के निर्णय में निदेशकों की स्वतंत्रता पर परिणाम कर सकते हैं, को भी सहयोगी निदेशकों के रूप में समझा जाये। सभी तदनुसार, म्युचुअल फंड को एएमसी तथा न्यास कंपनी के वर्तमान निदेशकों को 'सहयोगी' या 'स्वतंत्र' के रूप में वर्गीकृत करने और एएमसी या न्यास कंपनी के 50 प्रतिशत या दो तिहाई स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षा का पालन करने के निदेश दिये गये थे।
सितंबर	**9**	• सेबी ने सेबी (शेयरों के पर्याप्त अभिग्रहण और अधिकार में लेना) विनियमावली, 1997 में संशोधन किये है। संशोधनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विनिवेशों के लिए मानदण्डों में छूट, अधिमान्य आबंटन के जरिए अधिग्रहण के संबंध में स्वचालित छूट को निकालना, अतिरिक्त प्रकटन आवश्यकताएं, सामान्य संकल्प के बजाए विशेष संकल्प के जरिए नियंत्रण में बदलाव, आफर मूल्य निश्चित करने के लिए अतिरिक्त मानदण्ड, सभी मामलों में 20 प्रतिशत का न्यूनतम प्रस्ताव मात्रा, 1 अक्तूबर, 2002 से 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक खिसकती अधिग्रहण सीमा में छूट, आदि शामिल है।
	24	• सेबी (स्वेट इक्विटी के निर्गम) विनियमावली, 2002 जारी की। विनियमावली ने निर्गमन, मूल्य तय करना, लेखांकन अभिक्रिया, लेखापरीक्षकों के प्रमाणन, निश्चित अवरुद्धता अवधि, सूचीकरण पात्रता, अधिग्रहण दिशा-निर्देशों की प्रयोज्यता और कंपनी का सामानय दायित्व और स्वेट इक्विटी के निर्गमान के साथ संबद्ध बिचौलिये के लिए मानदण्डों को विनिर्दिष्ट किया है।
		• सेबी ने यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हुए जोखिम प्रबंध प्रणाली के लिए परिचालन संहिता जारी की है कि समस्त म्युच्युअल फंडों के लिए निधि प्रबंधन, परिचालन, ग्राहक सेवा, विपणन और वितरण, वसूली संकट तथा कारोबारी संभाव्यता, आदि जैसे उसके परिचालनों के विभिन्न क्षेत्रों में उचित परिश्रमिता का एक न्यूनतम स्तर या जोखिम प्रबंध प्रणाली हो। प्रत्येक जोखिम क्षेत्र के अंतर्गत संहिता में विद्यमान उद्योग प्रथाएं, अधिदेशात्मक आधार पर अनुपालन की जानेवाली प्रथाएं और सभी म्युच्युअल फंड द्वारा अनुपालन की बेहतर प्रथाएं दी गयी हैं।
अक्तूबर	**10**	• सेबी (शेयरों के वास्तविक अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियमावली, 1997 के अनुसार ऑफर के बाद के ब्यौरे के बारे में शेयरधारकों के लिए जानकारी का व्यापक प्रसार सुनिश्चित करने की दृष्टि से सेबी ने सभी अखबारों जिनमें मूल सार्वजनिक घोषणा की गई थी, में एक निर्धारित फार्मेट में सार्वजनिक घोषणा करने को अर्जनकर्ता के लिए अधिदेशात्मक (बंधनकारक) बनाया है।
	11	• सेबी ने प्रमुख अधिकारियों की अर्हता तथा मुद्रा के निवेश और ग्राहकों को प्रतिभूति संविभाग के प्रबंधन के अनुसार कंपनी संचालन सशक्त बनाने के लिए सेबी (संविभाग प्रबंधक) संशोधन विनियमावली जारी की है।
नवम्बर	**1**	• सेबी ने दोनों निक्षेपागारों पर ऋण लिखत का स्वीकरण अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।
	7	• सेबी ने विदेशी प्रतिभूतियों पर निवेश की सीमा 31 मार्च, 2002 तक की प्रत्येक म्युच्युअल फंड की निवल आस्तियों के 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत की है। तथापि, प्रत्येक म्युच्युअल फंड के लिए आस्तियों के आकार की ओर ध्यान दिये बिना न्यूनतम 5 मिलियन अमरीकी डालर से अधिकतम 50 मिलियन अमरीकी डालर तक की अनुमति है।
दिसम्बर	**2**	• सीधी-सीधी प्रोसेसिंग (स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग) के संबंध में सेबी द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। तदनुसार, 2 दिसंबर, 2002 से भारतीय पूंजी बाजार एसटीपी में काम करने लगा है।
	18	• व्युत्पन्नी पर गठित सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार सेबी ने स्टाक एक्स्चेंजों को कतिपय सिद्धान्तों के अनुरूप कंपनी कार्यवाही के समय व्युत्पन्नी संविदाओं में समायोजन की पद्धति निश्चित करने की अनुमति दी गई है।
		• व्युत्पन्नी पर गठित सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर स्टाक एक्सचेंजों को यह सूचित किया गया था कि कारोबार के लिए विधिगत (कानूनी) ढाँचा, व्युत्पन्नी खण्ड के समाशोधन तथा निपटान, पृथक कारोबार की स्थापना / गारंटी निधियों को निपटान, पृथक सदस्यता और शासी परिषद/ समाशोधन परिषद/ कार्यपालक समिति के अनुसार स्टाक एक्सचेंजों में नकद तथा व्युत्पन्नी खण्ड पृथक करें।
		• सीबी ने उन स्टॉक के बारे में विस्तृत पात्रता मानदण्ड निर्धारित किये हैं जिन पर स्टॉक आप्शन और स्टॉक फ्यूचर्स सौदों की अनुमति दी जायेगी तथा साथ ही बदले मानदण्ड के परिप्रेक्ष्य जोखिम रोक उपायों को भी आशोधित किया है।
2003		
जनवरी	**30**	• सेबी ने सीमित अवधिवाली योजनाओं को असीमित अवधिवाली योजनाओं में परिवर्तित करते समय अद्यतन प्रकटीकरणों के साथ सेबी के पास किसी प्रस्ताव दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा सहित पूरी की जानेवाली आवश्यकताएं तथा इकाई धारकों के लिए 30 दिनों की न्यूनतम निकासी अवधि मुहैय्या करने के बारे में स्पष्ट किया है। उनके लिए यह भी आवश्यक होगा कि वे इकाई धारकों को योजना के नवीनतम संविभाग, उसके स्थापित होने की तिथि से वित्तीय निष्पादन के ब्यौरे तथा योजना में किये गये आशोधन के ब्यौरे देते हुए प्रस्ताव दस्तावेज के साथ संलग्न परिशिष्ट के साथ जानकारी दें।
		• शेयर बाजारों (स्टाक एक्स्चेंजों) के निगमीकरण और कंपनीकरण पर गठित समूह (अध्यक्षः श्री एम.एच. कानिया) की सिफारिशें सेबी ने अनुमोदित की हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सभी स्टाक एक्स्चेंजों के लिए अपनाये जानेवाले निगमीकरण और कंपनीकरण के एक समान प्रतिरूप और स्टाक एक्स्चेंजों के लिए एकबारगी कर रियायत जो डिम्युच्युलाइज्ड़ होगा, शामिल हैं।
फरवरी	**13**	• सेबी (केंद्रीय सूचीकरण प्राधिकरण) विनियमावली, 2003 जारी। विनियमावली में सेबी द्वारा एक केंद्रीय सूचीकरण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। इसके अलावा विनियमावली में किसी भी स्टाक एक्स्चेंज में सूचीकरण करने से पहले सीएलए से अधिदेश प्राप्त सिफारिशों के लिए और सीएलए से संस्तुति पत्र जारी करने से इनकार कर देने के मामले में सेबी तथा प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण में अपील करने के लिए प्रावधान है। 9 अप्रैल, 2003 से सीएलए का गठन किया गया।

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2003		**IV. पूँजी बाजार नीतियां** *(...जारी)*
मार्च	**12**	• सेबी ने टी + चल (रोलिंग) निपटान के लिए जोखिम प्रबंध ढांचे को तर्क संगत बनाया। शेयर बाजार जोखिम मूल्य आधारित मार्जिन और बाजार मूल्य आधारित मार्जिन वसूल करेंगे। जोखिम मूल्य आधारित मार्जिन शेयर (स्क्रिप) की अस्थिरता और चलनिधि पर आधारित स्थिति पर निर्भर करेगा।
	31	• बाजार जोखिमों को कम करने और निवेशकों के हितों को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से 1 अप्रैल, 2003 से भारतीय इक्विटी बाजारों से संबंधित निपटान चक्र को घटाकर टी + 2 कर दिया गया।
अप्रैल	**4**	• सेबी ने पारस्परिक निधियों को उन सूचीबद्ध विदेशी कंपनियों की इक्विटी में निवेश करने की अनुमति दी जिसकी भारत में मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में न्यूनतम 10 प्रतिशत शेयरधारिता हो। भारतीय कंपनियों और विदेशी इक्विटी तथा ऋण प्रतिभूतियों द्वारा जारी एडीआर/जीडीआर में समस्त पारस्परिक निधि उद्योग द्वारा निवेश करने की समग्र उच्चतम सीमा 1 बिलियन अमरीकी डालर होगी। प्रत्येक पारस्परिक निधि (म्युचुअल फंड) 31 जनवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार अपनी निवल आस्तियों के 10 प्रतिशत तक बशर्ते कि वह 50 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक न हो, निवेश कर सकते हैं।
	10	• विवाचन अभिलेखों (आर्बिट्रेशन रिकार्ड) के रखरखाव/निपटान के संबंध में सभी शेयर बाजारों पर लागू एक समान नीति सेबी ने बनायी।
	19	• सेबी ने भारत सरकार और रिज़र्व बैंक के परामर्श से 10 वर्षीय परिपक्वता वाली सांकेतिक सरकारी प्रतिभूतियों और 91-दिवसीय या तीन माह की परिपक्वातावाले खजाना बिलों के संबंध में शेयर बाजार में खरीदे/बेचे जानेवाले ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदाएं प्रारंभ करने का निर्णय लिया। तदनुसार, सेबी ने ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए जोखिम सीमन उपाय लागू किये।
	29	• सेबी ने स्पष्ट किया कि दलाल, संविदा नोट डिजिटल हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी कर सकते हैं।
मई	**23**	• सेबी ने पारस्परिक निधियों द्वारा योजनाओं के समेकन हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं जिनमें विलय के प्रस्ताव एवं तौर-तरीकों/ समेकन का अनुमोदन परिसंपत्ति प्रबंध समिति (एएमसी) के बोर्ड और न्यासियों द्वारा किया जाना, प्रस्ताव सेबी को प्रस्तुत करना, यूनिट धारकों को भेजे जाने वाले पत्र में सभी संगत जानकारी देना और निकासी-प्रभार लगाए बिना मौजूदा निवल आस्ति मूल्यों पर निकासी का विकल्प देना अपेक्षित है।
जून	**2**	• सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजो को निदेश दिए हैं कि वे अपने नियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रावधान करें कि कंपनी की सहयोगी संस्थाएं केवल मूल स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों को सहयोगी कंपनी के उप-दलाल के रूप में पंजीकृत करेंगी और सहयोगी कंपनी किसी अन्य ग्राहक/उप-दलाल के पंजीकरण पर विचार नहीं करेगी।
		• कुछ स्टॉक एक्सचेंजों से प्राप्त अभ्यावेदनों, जिनमें उनके यहां माध्य प्रभाव लागत (मीन इम्पैक्ट कास्ट) की गणना कर पाने की उनकी असमर्थता पर सेबी ने उन स्टॉक एक्सचेंजों को बीएसइ अथवा एनएसइ की इम्पैक्ट कास्ट का प्रयोग करने की अनुमति दे दी है बशर्ते, उन्होंने संबंधित स्टाक एक्सचेंजों (बीएसइ अथवा एनएसइ) के साथ आवश्यक होने पर, अपने सदस्यों की पोजीशन को उस स्टाक एक्सचेंज पर लिक्विडेट करने हेतु औपचारिक विधिक व्यवस्था कर ली हो।
	5	• सेबी ने पहले यह नियत किया कि न्यूनतम आधार पूँजी से कमी, अधिक होने की स्थिति में सदस्य की कारोबार (व्यवसाय) की सदस्यता वापस ले ली जाएगी तथा कमी की पूरी वसूली के बाद सदस्य को चार निपटानों के लिए घटे हुए जोखिम पर कारोबार की अनुमति दी जाएगी। रॉलिंग सेटेलमेंट की शुरूआत के मद्देनजर सेबी ने यह निर्णय लिया कि पूर्ववर्ती प्रावधान पहले के निर्दिष्ट चार के बजाय कम से कम दस रॉलिंग सेटेलमेंट पर लागू होगा।
	11	• सेबी ने अतिरिक्त पूँजी और मार्जिन की संघटना और प्रतिभूतियों के लिए पात्रता के मानकों को संशोधित किया है। तदनुसार, अतिरिक्त पूँजी और मार्जिन के न्यूनतम नकदी घटक को वर्तमान के 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।
	18	• सेबी ने लगातार तीन महीनों के लिए 1 करोड़ रुपये से कम औसत दैनिक पण्यावर्त (कुल कारोबार) वाले स्टॉक एक्सचेंजों की पूँजीगत अपेक्षाओं की समीक्षा की। ऐसे एक्सचेंजों को न्यूनतम आधार पूँजी (बीएमसी) 1 लाख रुपए रखने की अनुमति दी गयी। न्यूनतम आधार पूँजी से अधिक की राशि सदस्य को कतिपय शर्तों के अधीन लौटायी जाएगी।
	19	• सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को अनुमति दी कि वे सेबी का अनुमोदन लिए बिना सूचीकरण शुल्क ले सकते हैं।
	25	• सेबी ने निर्णय लिया कि तिहरे ए तथा इससे अधिक की क्रेडिट रेटिंग वाले डिबेंचरों और बॉण्डों के मामले में 5 प्रतिशत कमी/वृद्धि होगी। तथापि, तिहरे 'ए' की क्रेडिट रेटिंग से रहित अन्य डिबेंचरों और बॉण्डों के लिए इक्विटियों के मामले में वर्तमान 20 प्रतिशत की कमी/वृद्धि बिक्री लागू होगी।
		(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक
2002		
अक्तूबर	**16**	• रिज़र्व बैंक ने एडीआर/जीडीआर निर्गमों के संबंध में परिचालनात्मक दिशा निर्देशों को स्पष्ट किया है। अभिरक्षकों के लिए आवश्यक है कि वे क्षेत्रीय सीमा (सेक्टर कैप) का उल्लंघन न किये जाने के संबंध में मासिक आधार पर एक प्रमाणपत्र रिज़र्व बैंक/सेबी को प्रस्तुत करें। अभिरक्षकों द्वारा एडीआर/जीडीआर लेनदेनों के बारे में मासिक रिपोर्ट भी निर्धारित फार्मेट में रिज़र्व बैंक/सेबी को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
		(iii) भारत सरकार
2002		
जून	**19**	• आयकर (आठवें संशोधन) नियमावली 2002 ने प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद के लिए स्थायी लेखा संख्या (पैन) को उद्धृत करने हेतु प्रारंभिक सीमा 10 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये की है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का कालक्रम

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2002		**IV. पूँजी बाजार नीतियां** *(...जारी)*
अक्तूबर	**30**	• भारत सरकार ने यूटीआइ को दो भागों में अर्थात यूएस 64 और निश्चित प्रतिफल योजनाओं को समाविष्ट करते हुए यूटीआइ I और निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) आधारित योजनाओं को अंतर्भूत करते हुए यूटीआइ-II, विभाजित करते हुए उसकी पुर्नसंरचना करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। यह योजना जनवरी 2003 से लागू की गयी।
		• सरकार ने सेबी को न्यायालय के अनुमोदन के साथ तलाशी और जब्ती के अधिकार प्रदान करने के लिए अध्यादेश जारी किया है । छोटे अपराधों के लिए मौद्रिक जुर्माने की राशि 1 करोड़ रुपये तथा बड़े अपराधों के लिए जुर्माना अपराध में फँसी हुई राशि के तीन गुना या 25 करोड़ रुपये, जो भी उच्चतम है, होगी।
2003		
जनवरी	**3**	• कंपनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 बनाया गया। अधिनियम ने रुग्ण कंपनियों के पुर्नवास तथा समापन दोनों दो वर्षों की अधिकतम अवधि में कराने के लिए एक नयी, आधुनिक, दक्ष तथा निर्धारित समय के अंदर दिवालियापन कानून के लिए व्यवस्था करने की कोशिश की है। यह विचार है कि सरकार द्वारा पूरे देश में अधिसूचित करने के लिए अनेक न्यायपीठों के साथ एक राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण की स्थापना की जाए।
फरवरी	**28**	• केन्द्रीय बजट में शेयरधारकों को लाभांश कर मुक्त देने का प्रस्ताव रखा गया। तदनुसार देशी कंपनियों पर 12.5 प्रतिशत का लाभांश वितरण कर लगाया गया है। जहाँ यूटीआइ-II सहित म्युच्युअल फंड को लाभांश वितरण कर अदा करना पड़ता है वहीं इक्विटी उन्मुख योजनाओं को इस कर की परिधि से एक वर्ष की अवधि के लिए छूट दी गयी है। यूटीआइ-I को भी लाभांश वितरण कर से छूट दी गयी है।
		• पूंजी बाजारों को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय बजट में ऐसी सभी सूचीबद्ध इक्विटियों पर 1 मार्च, 2003 को या उसके बाद प्राप्त करने और एक वर्ष या उसके बाद बेचने पर पूंजीगत अभिलाभ कर से छूट दी गयी है।
		• पुनर्खरीद पर एक वर्ष के लिए पूंजीगत अभिलाभ कर से छूट दी गयी।
		• स्टाक एक्सचेंजों को शेयरों के निगमीकरण पर पूंजीगत अभिलाभ कर के भुगतान से छूट दी गयी।
		(IV) बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आइआरडीए)
2002		
अक्तूबर	**16**	• 23 सितम्बर, 2002 से बीमा संशोधन अधिनियम 2002 के प्रावधानों का प्रवर्तन करने की केन्द्र सरकार की अधिसूचना जारी किए जाने के परिणामस्वरूप प्राधिकरण ने बीमा दलालों से संबंधित विनियमों, ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्वों, कंपनी एजेंटों के लाइसेंसीकरण, बीमा एजेंटों के लाइसेंसीकरण, पालिसी धारकों के हितों के संरक्षण तथा प्रीमियम की प्राप्ति के तरीके आदि से संबंधित नये विनियम जारी किये।
2003		
जनवरी	**30**	• बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के साथ अपनी शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से बीमा उत्पादों की बिक्री करने के लिए परामर्शी कारोबार करने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को अनुमति प्रदान किये जाने के पश्चात, प्राधिकरण द्वारा ये दिशानिर्देश जारी किये गये कि बीमा अधिनियम, 1938 तथा बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण विनियमावली के अंतर्गत एजेंसी कमीशन के लिए निर्धारित स्तर तक परामर्श शुल्क को सीमित रखा जाए तथा अपने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने और बीमा उत्पादों के उपयोग में बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी संबद्धता नहीं रखी जाए। बाद में, बीमाकर्ताओं को सूचित किया गया कि वे ऐसे किसी बैंक से परामर्शी व्यवस्था न करें, जिसको एजेंट या बीमा मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने का लाइसेंस प्राधिकरण से प्राप्त हुआ है।
फरवरी	**26**	• बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को सूचित किया कि वे नकद निधियों, श्रेष्ठ प्रतिभूतियों में या ऋण निधियों वाली पारस्परिक निधियों की योजनाओं में निवेश को अपने अस्थायी अधिशेषों तक सीमिति रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि सेबी के साथ विधिवत पंजीकृत पारस्परिक निधियों में उपयुक्त रूप से निधियों का निवेश किया जाता है। यदि उन पारस्परिक निधियों, जिनमें ऐसा निवेश किया जाता है, की योजनाओं का प्रबंध कार्य एक ऐसे निवेश प्रबंधक द्वारा किया जाता है जो बीमाकर्ता अथवा उसके प्रवर्तक के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रबंधन अथवा नियंत्रण के अधीन हो, तो ऐसा निवेश विभिन्न समूहों के लिए निर्धारित सीमा के अधीन "अनुमोदित निवेशों से इतर" श्रेणी में आनेवाले निवेशों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। बीमाकर्ता को चाहिए कि वे उन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के शेयरों अथवा डिबेंचरों में निवेश न करें, जिसमें यदि पारस्परिक निधि द्वारा निवेश किया गया हो।
मार्च	**2**	• पारस्परिक निधियों में निवेश हेतु बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं। इन दिशा-निर्देशों में जीवन तथा सामान्य बीमा कम्पनियों के "अनुमोदित निवेशों से इतर" (ओटीएआइ) श्रेणी में आनेवाले निवेशों के 50 प्रतिशत की उच्चतम सीमा (सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए 20 प्रतिशत) तथा विविधीकृत निवेश रणनीति निर्धारित की गई हैं
		V. बाह्य क्षेत्र की नीतियां
		क) व्यापार नीति
2002		
अप्रैल	**26**	• 2002-03 के केन्द्रीय बजट में निम्नलिखित आशोधन घोषित किये गये :
		i) 1 अप्रैल, 2002 को उससे बाद उत्पादन प्रारंभ करनेवाले विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसइ जेड) की यूनिटों को धारा 10ए के अधीन पाँच वर्षों की अवधि के लिए निर्यात लाभों की 100 प्रतिशत की कटौती तथा उसके बाद अगले दो वर्षों के लिए 50 प्रतिशत की कटौती ।

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2002		**V. बाह्य क्षेत्र की नीतियां** *(...जारी)*
		ii) शुल्कों, प्रशुल्कों तथा केन्द्रीय बिक्री कर के प्रयोजन से देशी प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) से विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसइज़ेड) में की जानेवाली आपूर्तियों को मानिंद निर्यात के बजाय भौतिक निर्यात के रूप में मान लिया जाएगा।
		iii) दुग्धोत्पादों पर लगाये जानेवाले 30 प्रतिशत सीमा शुल्क के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ) द्वारा निर्धारित 40 प्रतिशत की दर लगाई जाएगी।
जून	**3**	• विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 16 नई निर्यात वस्तुओं के लिए अतिरिक्त मानक निविष्ट-उत्पाद मानदंड (एसआइओएन) अधिसूचित किये हैं तथा वर्तमान 38 निर्यात वस्तुओं से संबंधित मानदण्डों के संबंध में संशोधन/सुधार/विलोपन अधिसूचित किये हैं। 16 नयी वस्तुओं में से 10 रसायन तथा सम्बद्ध उत्पादों, 5 इंजीनियरी उत्पादों और 1 खाद्य उत्पादों से संबंधित हैं।
जुलाई	**23**	• सरकार ने 780 करोड़ रुपये के संभावित कुल निवेश के साथ 14 विभिन्न राज्यों में 28 कृषि निर्यात क्षेत्रों (एइज़ेड) की स्थापना करने के लिए अनुमोदन दिया।
सितम्बर	**13**	• कृषि निर्यात क्षेत्रों की यूनिटों को जारी निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (इपीसीजी) लाइसेंसों के मामले में, निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए परिकलित की जानेवाली 12 वर्षों की अवधि के लिए लाइसेंस जारी करने की तारीख को हिसाब में लेने की अनुमति दी गई।
2003		
जनवरी	**3**	• विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 37 नयी निर्यात वस्तुओं के लिए अतिरिक्त मानक निविष्ट-उत्पाद मानदण्ड (एसआइओएन) और 37 वर्तमान निर्यात वस्तुओं के मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्डों में सुधार/संशोधन/विलोपन अधिसूचित किये।
	9	• सरकार ने घोषित किया कि नई अथवा पुरानी पूंजीगत वस्तुओं, उपकरणों, घटकों, पुर्जों तथा सहायक उपकरणों, निर्यात वस्तुओं को पैक करने लायक कंटेनरों, जुगतों(जिग्स) फिक्सचरों, डाइ तथा सांचों (डाइयों तथा मोल्डों) का सीमाशुल्क प्राधिकारियों को विधिक वचनपत्र दे कर/बैंक गारंटी निष्पादित करते हुए, बिना किसी लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/ अनुमति के निर्यात हेतु आयात किया जा सकता है बशर्ते वह वस्तु 'आयात व्यापार नियंत्रण (आइटीसी) (एचएस) अनुसूची II' के अधीन बिना किसी बिशर्त/लाइसेंस की अपेक्षा/अनुमति के मुक्त रूप से निर्यात योग्य है।
	17	• सरकार ने लहसुन के आयात से संबंधित परिमाणात्मक प्रतिबंधों (क्यूआर) को हटाने का निर्णय लिया।
	22	• ड्यूटी हकदारी पास बुक (डीइपीबी) दरों की गणना करते समय, निविष्टियों पर विशेष अतिरिक्त ड्यूटी (एसएडी) के प्रभाव को भी ध्यान में रखने की विदेश व्यापार महा निदेशालय ने अनुमति दी।
फरवरी	**3**	• विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 17 नयी निर्यात वस्तुओं के लिए अतिरिक्त मानक निविष्टि-उत्पाद मानदंड तथा 33 वर्तमान निर्यात वस्तुओं के मानक निविष्टि-उत्पाद मानदण्डों में सुधार/संशोधन/विलोपन अधिसूचित किया।
	7	• निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में सरकार ने दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, बेंगलूर तथा हैदराबाद के हवाई माल संकुलों में स्थित सीमाशुल्क कार्यालयों, अभिरक्षकों तथा बैंकों के कार्यसमय को बढ़ा दिया।
	24	• निर्यातोन्मुखी इकाइयों (इओयू) तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसइज़ेड) की इकाइयों के लिए एक अलग निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई ताकि इन संस्थाओं के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। यह किसी अन्य निर्यात संवर्धन परिषदों के समान एक अनुमोदित व्यापार निकाय के रूप में कार्य करेगी तथा संबंधित इकाइयों के क्रियाकलापों में सहायता देगी।
	28	• 2003-04 के केन्द्र सरकार के बजट में, अन्य बातों के साथ सीमा शुल्क के संबंध में निम्नलिखित घोषणाएं की गईं : (i) कृषि तथा दुग्धोत्पादों को छोड़कर बाकी सभी मदों के लिए सीमा शुल्क की उच्चतम दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा, (ii) शंखों तथा सीडलाकों (दस्तकारी वस्तुएं) पर शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा । (iii) ओलियो पाइन रेज़िन पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत से कम करके 10 कर दिया जाएगा, (iv) यात्रियों के बैगेज पर लगाये जा रहे सीमाशुल्क को 60 प्रतिशत से 50 प्रतिशत कर दी जाएगी, (v) रॉक फॉस्फेट तथा अशुद्ध गंधक, जो फॉस्फोरिक अम्ल की निविष्टिगत वस्तुएं हैं, को विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) से छूट देने का प्रस्ताव है, (vi) विश्वव्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से किये गये वायदों के अनुरूप वाइन (द्राक्षासव) सहित आयातित मदिरा पर लगाये गये प्रतिकारी शुल्क को तर्कसंगत बनाने के अलावा शराब पर लगाये जानेवाले आधार सीमाशुल्क को कम करके 166 प्रतिशत कर दिया जाए, (vii) वास्तविक वाणिज्यिक नमूनों सैम्पलों और उपहारों के लिए संपूर्ण सीमाशुल्क में छूट की मूल्य सीमा को 5000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये तक किया जाएगा।
		• पूंजीगत माल तथा मूलभूत संरचना, वस्त्र, औषधि निर्माण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी, पर्यटन, रत्न और आभूषण, ऊर्जा, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा औषधि जैसे भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आनेवाली विभिन्न वस्तुओं के सीमा शुल्क में कटौती का भी प्रस्ताव किया गया।
		• 2003-04 के केन्द्रीय बजट में घोषित अन्य उपायों में व्यापार सरलीकरण उपायों, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम का मजबूतीकरण, सीमाशुल्क प्रक्रियाओं का सरलीकरण, समुद्री बंदरगाहों (पोर्टों) का आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने तथा बैंक गारंटी प्रदान करने संबंधी उपायों में सुधार लाना, आदि शामिल हैं।
मार्च	**4**	• विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 25 नयी निर्यात वस्तुओं के लिए अतिरिक्त मानक निविष्टि-उत्पाद मानदण्ड (एसआइओएन) और 43 वर्तमान निर्यात वस्तुओं के मानक निविष्टि-उत्पाद मानदण्डों में सुधार/संशोधन/विलोपन अधिसूचित किया।
	20	• सरकार ने स्थल सीमाशुल्क स्टेशनों के विकास के लिए एक अन्तर मंत्रालयीन समिति (आइएमसी - एमसीएस) का गठन किया जो पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को सुसाध्य बनायेगी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान करेगी।
	31	• भारत सरकार द्वारा 2003-04 के लिए आशोधित निर्यात-आयात नीति घोषित की गई। आशोधित निर्यात-आयात नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं : (i) स्वास्थ्य रक्षा, मनोरंजन और व्यावसायिक सेवाएं जैसे- गैर-परंपरागत सेवा क्षेत्रों तथा पर्यटन जैसे परंपरागत सेवा क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाने के उपाय,

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का कालक्रम

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2003		**V. बाह्य क्षेत्र की नीतियां** *(...जारी)*
		(ii) कृषि निर्यात क्षेत्रों (एइजेड) को प्रवर्तित करने में कम्पनियों का सहयोग प्राप्त करने सहित भूमंडलीकरण के हितलाभों को किसानों तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाने के मूल उद्देश्य के साथ कृषि-निर्यात के संबंध में की गयी मुख्य पहल, (iii) लघु उद्योग क्षेत्र सहित भारतीय निर्यात के विनिर्माण आधार को विस्तारित करने हेतु अधिक लचीली एवं आकर्षक निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (इपीसीजी) योजना, (iv) उच्च वृद्धि पर प्रीमियम सहित प्रतिष्ठित निर्यातकों के लिए प्रोत्साहन, (v) निर्यातों पर लगाये गये प्रतिबंध हटाना, (vi) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसइजेड) में निवेश सरल बनाने के उपाय, (vii) विश्व में भारत को प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु लेनदेन लागतों को कम करने के उद्देश्य से पुनर्विन्यास की गई निर्यात समूह विकास योजना तथा प्रक्रिया संबंधी सरलीकरण।
मार्च	**31**	• ड्यूटी हकदारी पास बुक (डीइपीबी) योजना अब भी जारी है तथा विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और नई उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से अनंतिम ड्यूटी हकदारी पास बुक दर के लिए एक सुविधा प्रारंभ की गई है। इस नीति ने पाँच वस्तुओं चावल (बासमती को छोड़कर), काटन लिन्टर्स कपास के रेशे, दुर्लभ मृदा (रेयर अर्थ), रेशम कोश (सिल्क कोकून) और कतिपय परिवार नियोजन उपकरणों आदि के निर्यात पर लगे परिमाणात्मक प्रतिबंधों को भी हटा दिया। कृषि तथा सेवा निर्यातों के संवर्धन के साथ-साथ वस्त्र (विशेषकर परिधान), ओटोमोबाइल उपकरण, रत्न तथा आभूषण, रसायन, औषधि तथा दवाइयां और इलैक्ट्रानिक हार्डवेअर क्षेत्रों पर, जहाँ त्वरित निर्यात वृद्धि होने की संभावना है, विशेष ध्यान दिया जाएगा। हीरे तथा हीरा जड़ित आभूषणों की खरीद/बिक्री करने वाले व्यापारियों के लिए "हीरा तथा आभूषण खाता" तथा इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर/साफ्टवेयर क्षेत्र को बढ़ावा देनेवाले पैकेज जैसी क्षेत्र - विशेष संबंधी पहलें घोषित की गईं। उन मामलों में, जहाँ देश के 23 इलेक्ट्रानिक डाटा आदान-प्रदान पोर्टो (केन्द्रों) से निर्यात किया गया था, निर्यातकों को ऑन-लाइन अनुमोदन प्रदान करने हेतु कुछ प्रक्रिया संबंधी सरलीकरण उपाय घोषित किये गये।
		• 1 अप्रैल, 2003 से "फोकस : सीआइएस" कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्यों के राष्ट्रमंडल (सीआइएस) क्षेत्र में भारत के निर्यातों को बढ़ाने तथा उनके साथ द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग को विस्तारित करने के लिए मुख्य उत्पाद समूहों, प्रौद्योगिकी तथा सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना है।
मई	**22**	• सरकार ने "हीरा तथा आभूषण डॉलर खाता योजना" संशोधित की। वे फर्म/कंपनियाँ, जो खुरदुरे अथवा कटे हुए और तराशे गये हीरे/ सादे, मीनाकारीवाले और/अथवा हीरे तथा/अथवा अन्य रत्न जड़ित गैर-जड़ाऊ मूल्यवान धातुओं के आभूषण की खरीद/बिक्री का व्यापार कर रही हैं और जिनका हीरे/रंग-बिरंगे रत्नों/हीरे और रंग-बिरंगे रत्न जड़ित आभूषणों/सादे स्वर्ण आभूषणों आदि के आयात/निर्यात में कम से कम तीन साल का पिछला कार्य अनुभव हो तथा जिनकी बिक्री पिछले 3 लाइसेंस वर्षों के दौरान कुल औसत वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का रहा हो, भी नामित हीरा डॉलर खाते के माध्यम से अपना कारोबार कर सकती हैं।
	30	• संक्रमणकालीन इस्लामी राज्य अफगानिस्तान और भारतीय गणतंत्र के बीच 6 मार्च, 2003 को हस्ताक्षरित अधिमान्य व्यापार करार चालू किया गया। इस करार के अंतर्गत मूल स्थान का प्रमाणपत्र जारी करने की एकमात्र एजेंसी निर्यात निरीक्षण परिषद है।
		ख) विदेशी मुद्रा बाजार
2002		
अप्रैल	**1**	• उन निर्यातकों को जिनकी कार्य-निष्पादन रिपोर्ट अच्छी हो तथा जिन्हें निर्यात-आयात नीति के अनुसार "प्रतिष्ठित निर्यातक" के रूप में प्रमाणित किया गया हो, को निम्नलिखित की अनुमति दी गई : i) वे अपनी पात्र विदेशी मुद्रा प्राप्तियों का 100 प्रतिशत तक इइएफसी (विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा) खाते में जमा कर सकते हैं, ii) वे अपने निर्यात दस्तावेज भारत के बाहर अपने विदेशी परेषितियों को सीधे भेज सकते हैं बशर्ते जीआर प्रपत्र में नामित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से निर्यात प्राप्तियों का प्रत्यावर्तन किया जाये तथा निर्यात के पोतलदान की तारीख से 21 दिनों के भीतर जीआर प्रपत्र की प्रतिलिपि निगरानी के प्रयोजन से निर्यातक द्वारा प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत की जाये, iii) 1 अप्रैल, 2002 या उसके बाद किये गये पोत-लदान के संबंध में पोत-लदान की तारीख से बारह महीने की अवधि में निर्यात आगमों का पूरा मूल्य वसूल किया जाये और प्रत्यावर्तित किया जाये।
	2	• बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) में पंजीकृत बीमा कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना विदेशी मुद्रा में अंकित साधारण बीमा पालिसियां जारी करने तथा विदेशी मुद्रा में प्रीमियम प्राप्त करने की अनुमति निम्नलिखित प्रकार के मामलों में दी गई थी : (i) उन जलयानों से संबंधित समुद्री बीमा पालिसियाँ (क)जो कि विदेशी जहाजरानी कम्पनियों के स्वामित्व में हैं परन्तु जलयानों के तकनीकी परिचालकों के रूप में उनका प्रबंध भारतीय कम्पनियों द्वारा किया जाता है (ख) जो ऋण करार के अनुसार विदेशी वित्तपोषकों/बैंक के पास बंधक है तथा उसका समनुदेशन विदेशी वित्तपोषकों/ बैंक के पक्ष में हैं; (ii) हवाई-टैक्सी परिचालनों के प्रयाजन हेतु पट्टा/किराये आधार पर भारत के बाहर से आयातित हवाई जहाजों के लिए विमानन बीमा पालिसियाँ; (iii) उपकरणों की आपूर्ति हेतु, विदेशी कम्पनियों के सहयोग से भारत में स्थापित की जानेवाली परियोजना के संबंध में भारतीय कंपनियों को प्रदत्त समुद्री-सह-स्थापना सर्व जोखिम बीमा पालिसियाँ तथा (iv) इ सी बी (बाह्य वाणिज्यिक उधार) द्वारा वित्तपोषित भारत में कार्यान्वित की जानेवाली परियोजनाओं के लिए भारतीय कंपनियों, अथवा विश्व व्यापी टेंडर के अधीन स्थानीय कम्पनियों को दी गई उन परियोजनाओं जिनके संबंध में विदेशी मुद्रा में बीमा प्रीमियम चुकाना है, को प्रदत्त समुद्री-सह-स्थापना सर्व जोखिम पालिसियाँ। इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया है कि वे उपर्युक्त मामलों से संबंधित दावों के निपटान हेतु, कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन विप्रेषण की अनुमति दें।
	12	• स्वर्ण/चांदी के आभूषण अथवा तराशे तथा पॉलिश किये हीरों से बनी वस्तुओं के निर्यात के संबंध में, निर्यात बिलों के बीजक मूल्य में 10 प्रतिशत तक की कटौती करने पर विचार करने की अनुमति प्राधिकृत व्यापारियों (एडी) को दी गई।
	29	• बैंकों को अपने निधि प्रबंध में अधिक स्वतंत्रता एवं लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों को यह अनुमति की गई कि वे चुनिंदा मामलों में विदेशी वाणिज्यिक उधार (इसीबी) लिए हुए उधारकर्ता के खाते की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जहाँ परिस्थितियाँ ऐसी अपेक्षा करती हों अपनी विदेशी मुद्रा देयताओं को रुपयों में परिवर्तित करें। जो प्राधिकृत व्यापारी भारतीय कंपनियों द्वारा लिए गये विदेशी वाणिज्यिक उधारों (इसीबी) के लिए दी गई गारंटियों के फलस्वरूप उत्पन्न विदेशी मुद्रा देयताओं को रुपयों में परिवर्तित (क्रिस्टलीकरण) करना चाहते हैं, उनको सूचित किया गया कि वे मामले के संपूर्ण अपेक्षित ब्यौरे सहित विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग से संपर्क करें।

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2002		**V. बाह्य क्षेत्र की नीतियां** *(...जारी)*
मई	**14**	• प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया कि आवेदक द्वारा विदेशी टेलीविज़न पर विज्ञापन हेतु विप्रेषण करने से पहले वे किसी एक सनदी लेखाकार से यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि पिछले दो सालों के दौरान प्रत्येक वर्ष में उस 10 लाख रुपये से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने से संबंधित मानदण्ड का पालन किया है तथा जिस विज्ञापन के लिए विदेशी मुद्रा का विप्रेषण किया जाता है, उसका प्रसारण विदेशी टेलीविज़न कम्पनी द्वारा केवल भारत में ही नही विदेश में भी किया जाता है।
		• प्राधिकृत व्यापारियों को इस बात की अनुमति दी गयी कि वे अनिवासी भारतीयों को, सनदी लेखाकार के उचित प्रमाणन के आधार पर जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि विप्रेषित की जाने वाली राशि विप्रेषण हेतु पात्र है और यह कि लागू कर अदा कर दिये गये हैं/उनका प्रावधान किया गया है, जिनका भारत में अनिवासी सामान्य (एनआरओ) खाता नहीं है, अपनी वर्तमान आय जैसे किराया, लाभांश, पेंशन, ब्याज को प्रत्यावर्तित करने की अनुमति प्रदान करें।
	17	• विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसइजेड) में स्थित यूनिटों द्वारा भारत से बाहर के बीमाकर्ताओं से ली गयी सामान्य बीमा पालिसियों के लिए विप्रेषण की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत व्यापारी स्वतंत्र हैं बशर्ते यह प्रीमियम उन यूनिटों द्वारा अपनी विदेशी मुद्रा शेष राशियों से अदा किया जाये।
जून	**4**	• रिज़र्व बैंक ने फेमा, 1999 के अंतर्गत विभिन्न नामों जैसे मुद्रा परिचालन योजना के तहत चल रही लाटरी योजनाओं अथवा लाटरी जैसी योजनाओं में सहभागिता के प्रयोजन से अथवा पुरस्कार राशि/पुरस्कार प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के धनप्रेषण पर प्रतिबंध के बारे में अनुदेशों पर जोर दिया है।
	24	• संयुक्त उद्यम/पूर्णस्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की रिपोर्टिंग प्रक्रिया को और बेहतर बनाने हेतु भारतीय पार्टियों द्वारा आटोमैटिक रूट के अंतर्गत किए गए निवेश से संबंधित निर्धारित दस्तावेज के साथ 'ओडीए फार्म' रिज़र्व बैंक को भेजने की अपेक्षा समाप्त कर दी गई है। प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा धनप्रेषणों के संबंध में प्रस्तुत की जानेवाली रिपोर्ट को भी संशोधित कर दिया गया है। आटोमैटिक रूट के अंतर्गत तथा रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से जारी सभी धनप्रेषण/गारंटियों/निर्यात के पूंजीकरण आदि के बारे में अब से संशोधित ओडीआर फार्म में रिपोर्ट करना होगा। तथापि, भारतीय पार्टियों द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों को प्रस्तुत ओडीए फार्म की प्राप्ति/संवीक्षा से संबंधित प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
	27	• अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के उपयोग के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि : (i) इनका उपयोग इंटरनेट पर किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है जिसके लिए भारत में किसी भी प्राधिकृत व्यापारी से विदेशी मुद्रा खरीदी जा सकती है; (ii) इनका उपयोग इंटरनेट पर अथवा निषिद्ध मदों जैसे- लाटरी टिकट, प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध पत्रिकाओं, जुआ तथा कालबैक सेवाओं आदि के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन मदों/गतिविधियों के लिए विदेशी मुद्रा के आहरण की अनुमति नहीं है और; (iii) इंटरनेट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के उपयोग के लिए अलग से कोई सकल मौद्रिक सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्डों का उपयोग ऐसे किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है जिसके लिए भारत में प्राधिकृत व्यापारी से विदेशी मुद्रा खरीदी जा सके।
		• प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई है कि वे भारत से बाहर किए गए निर्यात के लिए ऐसे भुगतान प्राप्त करें जो किसी आयातक के क्रेडिट कार्ड को नामे करते हुए किया गया है और जिनमें रकम की प्रतिपूर्ति, कार्ड जारी करने वाले बैंक/संगठन से विदेशी मुद्रा में प्राप्त होगी।
	29	• प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई है कि वे भारतीय संस्थाओं को भारत के बाहर उनके कार्यालय (व्यापार/गैर-व्यापार) / शाखा अथवा प्रतिनिधियों के सामान्य व्यावसायिक कारोबार के प्रयोजन से धनप्रेषण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दें : i) विदेशी कार्यालय (व्यापार/गैर-व्यापार)/ शाखा / प्रतिनिधि (क) भारत में स्थित प्रधान कार्यालय के लिए कोई आकस्मिक अथवा अन्यथा कोई वित्तीय देयताएं पैदा नहीं करेगा (ख) रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना अधिशेष निधि का विदेश में निवेश नहीं करेगा। जो भी निधि शेष बचेगी वह भारत को प्रत्यावर्तित की जाएगी। (ii) साफ्टवेयर निर्यातक कंपनी/फर्म के विदेशी कार्यालय शाखा प्रत्येक 'ऑफसाइट' संविदा के 100 प्रतिशत संविदा मूल्य को तथा प्रत्येक 'आनसाइट' संविदा के कम से कम 30 प्रतिशत संविदा मूल्य को भारत को प्रत्यावर्तित करें और 'ऑन साइट' संविदा की संविदा राशि की शेष रकम (70 प्रतिशत) का उपयोग विदेश में कार्यलय/शाखा के खर्चों सहित संविदा संबंधी व्यय के लिए कर सकते हैं। विदेशी कार्यालय द्वारा ली गई 'ऑफ साइट' और 'ऑन साइट' संविदाओं के अंतर्गत हुई प्राप्तियों, व्यय और संबंधित प्रत्यावर्तन का विधिवत लेखा- परीक्षित वार्षिक विवरण प्राधिकृत व्यापारी को भेजा जाए। iii) विदेश में खोले गए बैंक खाते का ब्योरा प्राधिकृत व्यापारी को तुरंत दिया जाए।
		• भारतीय संस्थाओं को, भारत के बाहर स्थापित अपने कार्यालय/शाखा के नाम, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, कार्यालय/शाखा अथवा प्रतिनिधि के सामान्य कारोबार के परिचालन के प्रयोजन से धनप्रेषण करके भारत के बाहर बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलने, धारित करने और बनाए रखने की अनुमति दी गई है।
जुलाई	**2**	• प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई है कि वे अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों (एनआरआइ/पीआइओ) द्वारा उनके अनिवासी सामान्य रुपया खाता (एनआरओ) में रखी गई राशियों में से निधि के प्रत्यावर्तन की सुविधा नीचे दिए गए कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रदान करें : i) अपने बच्चों के शैक्षिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रति अकादमी वर्ष 30,000 अमरीकी डालर तक; ii) खाताधारक अथवा उसके परिवार-सदस्यों के विदेश में चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए 1,00,000 अमरीकी डालर तक; और iii) ऐसी अचल संपत्ति जो उनके पास 10 वर्ष से कम अवधि तक न रही हो, के बिक्री आगमों में से 1,00,000 अमरीकी डालर तक प्रति वर्ष, जो लागू कर के भुगतान के अधीन हो।
	4	• एल्युमिनियम/पेट्रोलियम के उत्पाद चीनी और अनाज को भी निर्यात किए जानेवाले उन पात्र उत्पादों की सूची में शामिल कर लिया गया है जिनकी वसूली अवधि बढ़ाई गई है और जिनके संपूर्ण निर्यात मूल्य का प्रत्यावर्तन पोतलदान की तारीख से 365 दिन के भीतर किया जाता है। उक्त सुविधा जो अब तक विनिर्माता निर्यातकों तक ही सीमित थी, अब वह वणिक निर्यातकों/व्यापारियों को भी प्रदान की जायेगी।
	6	• प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई थी कि वे भारत से बाहर निवासी व्यक्तियों की शाखा कार्यालय के पक्ष में 6 महीने से अनधिक अवधि के लिए सावधि जमा खाता खालें, बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट हो कि यह सावधि जमा, अस्थायी अधिशेष निधि में से की गई है और संबंधित शाखा/ कार्यालय इस आशय का वचन दे कि सावधि जमा की परिपक्वता रकम का इस्तेमाल वे परिपक्वता के 3 महीने के भीतर भारत में अपने कारोबार के लिए करेंगे। तथापि, यह सुविधा नौवहन और हवाई परिवहन कंपनी की शाखाओं/कार्यालयों के लिए लागू नहीं।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का कालक्रम

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2002		**V. बाह्य क्षेत्र की नीतियां** *(...जारी)*
जुलाई	**15**	• प्राधिकृत व्यापारियों को यह स्पष्ट किया गया है कि वे एनआरआइ की चालू आय जैसे - किराया, लाभांश, पेंशन, ब्याज आदि को उनके अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता में तभी जमा करेंगे जब वे इस बात से स्वयं संतुष्ट हो जाएं कि यह जमा अनिवासी खाताधारक की चालू आय है और उस पर कर की कटौती/भुगतान/प्रावधान, जैसा भी मामला हो, कर लिया गया है।
अगस्त	**5**	• रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना बाह्य वाणिज्यिक उधार (इसीबी) की समयपूर्व चुकौती के लिए, कतिपय शर्तें पूरी करने के अधीन, 31 मार्च, 2003 तक की सीमित अवधि के लिए एक 'आटोमैटिक रूट' प्रारंभ किया गया था।
	14	• प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई है कि वे विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसइज़ेड) की इकाइयों को भारत के बाहर माल पाने वाले (परेषिती) को निर्यात दस्तावेज सीधे भेजने की अनुमति दें, बशर्ते (क) निर्यात आगम प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से जीआर/एसडीएफ/पीपी/साफ्टेक्स फार्म में प्रत्यावर्तित किए जाते है और (ख) निर्यातक द्वारा पोतलदान की तारीख से 21 दिन के भीतर संबंधित घोषणा फार्म की दूसरी प्रति प्राधिकृत व्यापारी को निगरानी के प्रयोजन से प्रस्तुत की जाती है।
		• यह स्पष्ट किया गया कि खाताधारकों द्वारा विशेष दायित्व निर्वाह के लिए सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त आवक धनप्रेषण उनके इइएफसी खाते में जमा किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।
	28	• कतिपय निर्दिष्ट देशों को किए गए निर्यात के पूरे मूल्य का पोतलदान की तारीख से 360 दिन के भीतर वसूली और प्रतयावर्तन की सुविधा 1 सितबर, 2002 से ओर एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।
सितंबर	**9**	• आर विवरणियों सहित विदेशी मुद्रा में किए गए सभी प्रकार के लेनदेन हेतु 5,00,000 रुपये की राशि के समान राशि से कम के भुगतान से संबंधित फार्म ए1 और ए2 का रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना समाप्त कर दिया गया है और प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया है कि वे इन फार्मों की लेखा-परीक्षा करें ।
		• कूरियर के माध्यम से आयात को छोड़कर (उन सभी आयातों के संबंध में जिनमें भारत में आयात करने के लिए प्रेषित/प्रदत्त विदेशी मुद्रा की रकम 5,000 अमरीकी डालर अथवा उसकी समतुल्य राशि से अधिक होती है तो प्राधिकृत व्यापारियों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आयातक उसके लिए निर्धारित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करता है। यह सीमा बढ़ाकर 25,000 अमरीकी डालर कर दी गई है।
		• उन मामलों में जिनमें आयात के लिए प्रेषित विदेशी मुद्रा की रकम 1,00,000 अमरीकी डालर से कम अथवा इसके समतुल्य हो, प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई है कि वे या तो देश में उपयोग हेतु आयात पत्र की विदेशी मुद्रा नियंत्रण की प्रति स्वीकार करें अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीइओ) या कंपनी के लेखा परीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करें कि जिस माल के लिए धन प्रेषण किया गया है। वह माल वास्तव में भारत में आयात हो चुका है,बशर्ते : i) आयातक भारत में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एक कंपनी हो और जिसकी पिछले लेखा परीक्षित तुलनपत्र की तारीख को निवल मालियत 100 करोड़ रुपये से कम न हो, अथवा ii) आयातक एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी या भारत सरकार का उपक्रम या इसका विभाग हो।
	12	• विभिन्न प्रयोजनों के लिए निवासी व्यक्तियों को बाधारहित विदेशी मुद्रा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई है कि वे सभी अनुमत संव्यवहारों के लिए आवेदक के साधारण से पत्र, जिसमें मूलभूत जानकारी अर्थात आवेदक का नाम और पता, लाभार्थी का नाम और पता, प्रेषित की जानेवाली रकम और धनप्रेषण का प्रयोजन दिया गया हो, के आधार पर ए2 फार्म अथवा आवेदक के बैंक खाते में चेक आहरण द्वारा या मांग ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किए जाने की स्थिति में कोई भी दस्तावेज मांगे बिना 500 अमरीकी डालर या उसके समतुल्य रकम जारी करें।
		• भारत के बाहर इलाज हेतु निवासी बिना किसी बाधा और बिना किसी विलंब के विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकें, इसके लिए प्राधिकृत व्यापारियों को घोषणा के आधार पर 50,000 अमरीकी डालर या उसकी समतुल्य विदेशी मुद्रा जारी करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए भुगतान चेक द्वारा अथवा आवेदक के खाते में नामे करके या मांग ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो।
		• प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई है कि वे एनआरआइ और पीआइओ द्वारा प्रति कैलेंडर वर्ष 1,00,000 अमरीकी डालर से अनधिक राशि के धनप्रेषण की अनुमति दें, जो विरासत /वसीयत से भारत में प्राप्त की गई आस्तियों में से हो, जो भारतीय कराधान और यह साबित करने के लिए कि आस्तियां विरासत/वसीयत से प्रापत की गई हैं, के संबंध में दस्तावेज़ी साक्ष्य के अधीन हो।
	16	• प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई है कि वे सेवानिवृत्त कर्मचारियों अथवा भारतीय नागरिकता की अनिवासी विधवा सहित विदेशी नागरिकों को भारत की उनकी आस्तियों में से 20 लाख रुपये प्रति कैलेंडर वर्ष धनप्रेषण की अनुमति दें। 20 लाख रुपये की सीमा बढ़ाकर 1,00,000 अमरीकी डालर प्रति कैलेंडर वर्ष कर दी गई है जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने और भारतीय कर के अधीन है।
		• प्राधिकृत व्यापारियों से अब तक यह अपेक्षित था कि वे निर्यात आगमों की वसूली हो जाने पर जीआर/एसडीएफ/पीपी/साफ्टेक्स फार्मों की दूसरी प्रति विधिवत अधिप्रमाणन के बाद नज़दीकी रिज़र्व बैंक कार्यालय को प्रस्तुत करें। प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया है कि अब आर-विवरणी के साथ निर्यात घोषणा फार्मों की दूसरी प्रतियां अर्थात जीआर,पीपी और साफ्टेक्स तथा संबंधित सर्वाधिक घोषणा फार्म (एसडीएफ) के साथ-साथ नौवहन बिलों की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतियां रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत न की जाएं। बल्कि प्राधिकृत व्यापारी इन फार्मों को अपने पास रखें और उनमें से कुछेक की जांच करना सुनिश्चित करें ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि उगाही न करने या अल्प उगाही करने की यदि कोई अनुमति दी गई है तो वह उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार है अथवा यथावश्यक रूप से रिज़र्व बैंक द्वारा विधिवत अनुमोदित है।
	17	• इस दृष्टि से कि कंपनियां न्यून अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों का लाभ उठा सकें, रिज़र्व बैंक ने उन्हें 100 मिलियन अमरीकी डालर तक की रकम के बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार को पूर्व अनुमति के बिना समय-पूर्व चुकौती की अनुमति दी है। यह उदारीकृत आटोमैटिक रूट सभी श्रेणियों के उधारकर्ताओं के लिए 31 मार्च, 2003 तक उपलब्ध है। 100 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की राशि की समय-पूर्वचुकौती के प्रस्ताव पर रिज़र्व बैंक शीघ्रता से विचार करेगा। व्यक्ति, न्यास और लाभ न कमाने वाले संगठन आटोमैटिक रूट के अंतर्गत पात्र नहीं हैं।

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2002		**V. बाह्य क्षेत्र की नीतियां** *(...जारी)*
सितंबर	**25**	• प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई है कि भारत में उनकी शाखाएं केवल एफ सीएनआर(बी) जमा खाता के केवल खाताधारक को उसमें धारित निधि की ज़मानत पर भी निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अधीन विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान कर सकते हैं।
	27	• भारत में आयात की प्रक्रिया को आसान बनाने की दृष्टि से अल्पावधि क्रेडिट अर्थात आपूर्तिकर्ता-क्रेडिट तथा क्रेता-क्रेडिट श्रेणी के लिए एक समान विनियमावली और क्रियाविधि लागू की गई है। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी, भारत में माल के आयात को आपूर्तिकर्ता क्रेडिट अथवा क्रेता क्रेडिट द्वारा वित्तपोषित करने हेतु अल्पावधि क्रेडिट प्रस्ताव को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत हैं, बशर्ते : i) क्रेडिट तीन वर्ष से कम अवधि के लिए दिया जा रहा हो; ii) क्रेडिट की रकम प्रति आयात संव्यवहार 20 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक न हो; और iii) करेंसी ऑफ क्रेडिट के प्रयोजन से एक वर्ष तक के क्रेडिट के लिए क्रेडिट पर देय ऽ ऋण पर ब्याज की कुल लागतट प्रति वर्ष लिबोर + 50 आधार बिंदु और एक वष से अधिक एवं तीन वर्ष से अवधि के क्रेडिट के लिए लिबोर+ 125 आधार बिंदु से अधिक न हो।
	28	• अनिवासी भारतीय / भारतीय मूल के व्यक्ति जिनके पास एनआरओ खाता नहीं है और जिनके पास करयोग्य आय नहीं है, उन्हें अपनी चालू आय जैसे - लाभांश, किराया, पेंशन ब्याज के प्रेषण हेतु सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों के लिए प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया है कि वे संबंधित एनआरआइ/पीआइओ से इस आशय की साधारण घोषणा दो प्रतियों में प्राप्त कर लें कि वे भारत में कर दाता नहीं हैं।
	29	• विदेशी मुद्रा में धनप्रेषण की अनुमति देने के लिए, प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई है कि वे 'आयकर अनापत्ति प्रमाणपत्र' के बदले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के 18 नवंबर, 1997 की अधिसूचना एफ सं.500/152/96-एफआइडी में निर्धारित फार्मेट में प्रेषक द्वारा प्रस्तुत वचनपत्र अथवा संबंधित अधिसूचना में निर्दिष्ट 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' स्वीकार करें।
अक्तूबर	**3**	• विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को यह अनुमति दी गई है कि वे पूर्व में विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए इइएफसी खाता के विशेष प्रावधान के बदले, कतिपय शर्तों के अधीन भारत में प्राधिकृत व्यापारी के पास विदेशी मुद्रा खाता खोल सकते हैं, धारित कर सकते हैं।
	23	• एक वर्ष में 100 करोड़ और उससे अधिक के मूल्य के निर्यात संविदावाले कतिपय उत्पादों का विनिर्माता निर्यातकों/ वणिक निर्यातकों/व्यापारियों को दी गई पोतलदान की तारीख से 365 दिन के भीतर निर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात की पूरी राशि की वसूली और प्रत्यावर्तन की सुविधा एक वर्ष के लिए और बढ़ाकर 30 सितंबर, 2003 तक कर दी गई है।
नवंबर	**1**	• एनआरआइ/पीआइओ द्वारा भारत में खरीदी गई अचल संपत्ति (कृषि भूमि/फार्म हाउस/बागान संपत्ति को छोड़कर) के बिक्री-आगमों के प्रत्यावर्तन की लाक-इन-अवधि हटा दी गई है। तथापि, प्रत्यावर्तित की जानेवाली बिक्री-आगम की राशि संपत्ति प्राप्त करने के लिए लाई गई विदेशी मुद्रा राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
		• अनिवासी भारतीय व्यक्तियों को करेंसी नोट, बैंक नोट और यात्री चेकों के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा के लिए भारत में प्राधिकृत व्यापारियों के पास विदेशी मुद्रा खाता जिसे निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाता के नाम से जाना जाता है, खोलने, धारित करने और बनाए रखने की अनुमति दी गई है। यह सुविधा, आरएफसी सुविधा तथा 2000 अमरीकी डालर या उसके समतुल्य राशि की विदेशी मुद्रा नकद और/अथवा यात्री चेक के रूप में रखने की सुविधा के अतिरिक्त है। इन खातों को चालू खातों के रूप में रखा जाएगा और उनमें रखी जानेवाली राशि के लिए कोई उच्चतम सीमा नहीं होगी। अर्जित विदेशी मुद्रा/ अथवा नजदीकी रिश्तेदारों (कंपनी अधिनियम में यथापरिभाषित) से प्राप्त उपहार को निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाता में जमा कर सकते हैं / से यह खाता खोल सकते हैं और निवासी व्यक्तियों द्वारा सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भारत में प्रत्यावर्तित कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा का अर्जन माल के निर्यात और/अथवा सेवाओं, रायल्टी, मानदेय आदि के माध्यम से किया जा सकता है।
	5	• यह स्पष्ट किया गया कि प्राधिकृत व्यापारी रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना एनआरआइ/पीआइओ को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड इस शर्त के अधीन जारी कर सकते हैं कि संबंधित एनआरआइ/पीआइओ अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर लगने वाले प्रभार को या तो अपने आवक धनप्रेषण से पूरा करे या अपने अनिवासी बाह्य (एनआरइ) खाता/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) खाता में धारित राशि से पूरा करे। बाद में, प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई कि वे क्रेडिट कार्ड के प्रभार को कार्डधारक के अनिवासी (सामान्य) रुपया खाता (एनआरओ) की निधि से पूरा करें तथा भारत में बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड के उपयोग की कार्ड-सीमा तक प्रभारित करें।
	8	• निर्यातक जो विदेशों में सेवा-संविदा सहित परियोजना निष्पादन हेतु बोली लगाने के इच्छुक हैं, को अनुमति दी गई है कि वे बोली बाण्ड गारंटी के बदले में कंपनी गारंटी जारी कर सकते हैं बशर्ते कि इस गारंटी की रकम संविदा मूल्य की 5 प्रतिशत राशि से अधिक न हो और निर्यातक ने पीइएम ज्ञापन में दिए गए प्रावधानों का और इस संबंध में समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य अनुदेशों का पालन कर लिया है।
	12	• विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसइज़ेड) की संस्थाओं को आयात/निर्यात पर उनके पण्य मूल्य जोखिम के बचाव के लिए वे अंतर्राष्ट्रीय पण्य एक्सचेंजों/बाजारों में हेजिंग कारोबार कर सकते हैं बशर्ते ऐसे कारोबार "स्टैंड-अलोन" आधार पर किए जाएं।
		• प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई है कि वे अनिवासी भारतीयों /भारतीय मूल के व्यक्तियों को इस बात की अनुमति दें कि वे फ्लैट/प्लॉट का आबंटन न होने, आवासीय, वाणिज्यिक संपत्ति की खरीद की बुकिंग/का सौदा निरस्त होने के फलस्वरूप गृह निर्माण एजेंसियों/विक्रेता द्वारा ब्याज सहित वापस की गई आवेदन राशि/बयाना/ खरीद-प्रतिफल की रकम, यदि कोई हो, जिसकी निवल राशि पर कर देय हो, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अपने एनआरइ/एफसीएनआर खातों में जमा कर सकते हैं।
	16	• निधि प्रबंधन में और अधिक सहजता प्रदान करने की दृष्टि से भारत में बैंकों को अपनी अक्षत टियर I पूंजी के 50 प्रतिशत तक अथवा 25 मिलियन अमरीकी डालर, जो भी अधिक हो, विदेशी मुद्रा बाजार लिखतों और/अथवा ऋण लिखतों में निवेश करने की अनुमति दी गई है।
		• आयात की प्रक्रिया को आसान और उदार बनाने की दृष्टि से, भारत में माल के आयात हेतु बैंक गारंटी के बिना प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा अग्रिम धनप्रेषण की राशि, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, 25,000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 1,00,000 अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य कर दी गई है।

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2002		**V. बाह्य क्षेत्र की नीतियां** *(...जारी)*
नवंबर	**16**	• इस सुविधा को और भी उदार बनाने की दृष्टि से, विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति दी गई है कि वे किसी नियत तारीख के संदर्भ के बिना किसी भी दिन अपने समस्त इक्विटी निवेश के बाजार मूल्य को हेज कर सकते हैं। यदि संविभाग का मूल्य घटने से हेज आंशिक या पूर्ण रूप से असुरक्षित हो जाता है तो उसे यथापेक्षित, मूल परिपक्वता में बने रहने की अनुमति दी जा सकती है।
	18	• और अधिक उदारीकरण के उपाय के रूप में एक कैलेंडर वर्ष में प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा निवासी व्यक्तियों को किसी भी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) का एक या अधिक बार निजी दौरा करने के लिए जारी की जानेवाली 5,000 अमरीकी डालर या उसके समतुल्य राशि की सीमा बढ़ाकर 10,000 अमरीकी डालर या उसके समतुल्य राशि कर दी गई है।
	27	• भारत में किए गए निर्यात के ऐसे मामलों में जिनमें प्रेषित विदेशी मुद्रा की रकम 1,00,000 अमरीकी डालर से कम अथवा इसके समतुल्य हो, या तो देश में उपयोग हेतु आयात बिल की विदेशी मुद्रा नियंत्रण की प्रति अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीइओ) अथवा लिमिटेड या सरकारी क्षेत्र की कंपनी के लेखा परीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र कि जिस माल के लिए धनप्रेषण किया गया है वह माल वास्तव में भारत में आयात हो चुका है, को स्वीकार करने की सुविधा वैज्ञानिक निकायों/शैक्षिक संस्थाओं जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान/ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आदि सहित स्वायत्त निकायों, जिनके लेखों की लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है, को भी दे दी गई है।
दिसंबर	**2**	• और अधिक उदारीकरण के रूप में, आटोमैटिक रूट के अंतर्गत म्यांमार और सार्क देशों (पाकिस्तान छोड़कर) में भारतीय निवेश की वर्तमान सीमा पूर्व की 100 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 150 मिलियन अमरीकी डालर अथवा इसके समतुल्य कर दी गई है। नेपाल और भूटान में रुपया निवेश की पूर्व सीमा 350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 700 करोड़ रुपए कर दी गई है।
	14	• यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्यातक अपने जिन निर्यात बिलों को राइट आफ करवाना चाहते हैं, वे उस पर मिलनेवाली निर्यात प्रोत्साहन राशि को अनिवार्यतः अभ्यर्पित करते हैं, प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया है कि वे उन्हें सबंधित बकाया बिलों को बट्टे खाते डालने की अनुमति देने से पहले उनसे इस आशय का दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करें कि उन्हें मिले निर्यात प्रोत्साहन को उन्होंने अभ्यर्पित कर दिया है। प्राधिकृत व्यापारियों को यह भी सूचित किया गया है कि वे ऐसी प्रणाली लागू करें जिसके अंतर्गत उनके आंतरिक निरीक्षक अथवा लेखा-परीक्षक (प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा नियुक्त बाहरी लेखा-परीक्षकों सहित) बट्टे खाते डाले गये बकाया निर्यात बिलों की यादृध्छिक नमूना जांच/ प्रतिशतता जांच करें।
	17	• प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसइजेड) की इकाई को आपूर्ति किए गए माल के लिए उनके विदेशी मुद्रा खाते से स्वदेशी प्रशुल्क क्षेत्र की इकाई को विदेशी मुद्रा में प्राप्त भुगतान की राशि को इइएफसी खाते में जमा किए जाने के प्रयोजन से विदेशी मुद्रा आय के रूप में पात्र माना जाएगा।
	21	• प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा अनुमत अपने ग्राहकों को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से उन्हें उनके विदेशी मुद्रा निवेश के जोखिमों से बचाव के लिए स्वॉप में 25 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा हटा दी गई है। प्राधिकृत व्यापारी समग्र विवेकपूर्ण और जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों के अधीन ग्राहकों को अब ऐसे स्वॉप प्रस्ताव दे सकते हैं। तथापि, निर्दिष्ट सीमा स्वॉप संव्यवहारों के लिए जारी रहेगी जो ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा देयता ग्रहण करने में सहायक होगी, जिससे बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी। ग्राहकों द्वारा स्वॉप के निरस्त करने से जो स्थिति बनती है उसकी गणना उच्चतम सीमा के अंतर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। • बैंकों को यह अनुमति दी गई है कि वे अपनी अक्षत टियर I पूंजी का निवेश अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से बिना किसी प्रतिशत सीमा के अथवा पूर्ण सीमा तक विदेशी मुद्रा बाजार अथवा ऋण लिखतों में कर सकते हैं। • प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई कि वे अपने ग्राहकों को पात्र सीमा तक वायदा संविदा बुक करने की अनुमति इस शर्त के अधीन दें कि वायदा संविदा बकाया किसी भी समय आयात और निर्यात संव्यवहारों के लिए अलग से गणना की जानेवाली 100 मिलियन अमरीकी डालर की उच्चतम सीमा के भीतर, पात्र सीमा के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। • निर्धारित निरस्त वायदा संविदा की पुनःबुकिंग के लिए किसी ग्राहक हेतु प्रति वित्तीय वर्ष 100 मिलियन अमरीकी डालर की उच्चतम सीमा हटा दी गई है और प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया है कि वे एक वर्ष की अवधि के भीतर बकाया हो रहे सभी विदेशी मुद्रा निवेशों (एक्सपोज़र) को निरस्त संविदाओं की पुनःबुकिंग की सुविधा का प्रस्ताव इस शर्त के अधीन देने के लिए स्वतंत्र हैं कि ग्राहक संशोधित निर्धारित फार्मेट में निवेश (एक्सपोज़र) के ब्यौरे प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत करें। • एक वर्ष से के बाद प्रभावी होने वाले एक्सपोजर को कवर करने के लिए बुक की गई वायदा संविदाएं और दीर्घावधि विदेशी मुद्रा रुपया स्वॉप, यदि एक बार निरस्त कर दिये जाएँ तो इनकी दुबारा बुकिंग नहीं की जा सकती है। प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई है कि वे निर्यात संव्यवहारों पर कोई प्रतिबंध लगाए बिना यह सुविधा देना जारी रखें । • भारत में विदेशी बैंकों पर लगाया गया यह प्रतिबंध कि हेज संव्यवहार छह महीने की अवधि तक बना रहे, हटा दिया गया है। • प्राधिकृत व्यापारी अब भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को, भारत में उनके निवेश के सत्यापन के अधीन वायदा संविदा का प्रस्ताव देने के लिए स्वतंत्र हैं। एक बार इन वायदा संविदाओं को सूचीबद्ध कर दिए जाने के बाद इनकी पुनःबुकिंग नहीं हो सकती है।
2003		
जनवरी	**6**	• प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा सभी स्वीकार्य चालू खाता संव्यवहारों के लिए बैंक गारंटी के बिना अग्रिम धनप्रेषण की सीमा 25,000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 1,00,000 अमरीकी डालर कर दी गई है जिसके लिए रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं करना है।
	13	• कतिपय निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को अनुमति दी गई है कि वे विदेश में उन कंपनियों में निवेश करें जो मान्यताप्रापत स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों और जिनकी भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (निवेश वर्ष में पहली जनवरी को) भारतीय कंपनी में कम से कम 10 प्रतिशत की शेयरधारिता हो। ऐसे निवेशों की राशि अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख को भारतीय कंपनी की निवल मालियत के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। • पारस्परिक निधियों को कतिपय निर्दिष्ट शर्तों के अधीन ऊपर उल्लिखित विदेशी कंपनियों की इक्विटी में निवेश करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, विदेशी बाजारों में भारतीय कंपनियों की एडीआर/जीडीआर और साख-निर्धारण (रेटेड) ऋण लिखतों में विदेशी निवेश हेतु पूर्व में नियत 500 मिलियन अमरीकी डालर की समग्र उच्चतम सीमा बढ़ाकर 1 बिलियन अमरीकी डालर कर दी गई है।

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2003		**V. बाह्य क्षेत्र की नीतियां** *(...जारी)*
जनवरी	**13**	• निवासी व्यक्तियों को भी उपर दशार्य गये अनुसार बिना किसी मौद्रिक सीमा के विदेशी कंपनियों में कतिपय निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निवेश करने की अनुमति दी गई है।
		• विभिन्न प्रयोजनों जैसे - शिक्षा, चिकित्सा, अचल संपत्ति का बिक्री आगम, सेवानिवृत्त कर्मचारियों/भारत के बाहर निवासी भारतीय नागरिकों की विधवाओं सहित विदेशी नागरिकों की आस्तियों और विरासत/वसीयत के माध्यम से एनआरआइ/पीआइओ द्वारा प्राप्त भारत की आस्तियों, प्रत्येक के लिए निर्धारित सीमा तक एनआरओ खाता की निधि के प्रत्यावर्तन हेतु अनुमति प्रदान करने की वर्तमान व्यवस्था हटा दी गई है और प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई है कि वे एनआरओ खाता में धारित राशि/आस्तियों के बिक्री आगम में से एक वर्ष में 1 मिलियन अमरीकी डालर के धनप्रेषण की अनुमति प्रदान करें। तथापि, इस संबंध में भारतीय करों की देयता सहित पूरी की जानेवाली सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
		• निवासी व्यक्ति जो एक कर्मचारी है अथवा भारतीय कार्यालय अथवा विदेशी कंपनी की शाखा अथवा विदेशी कंपनी की सहयोगी कंपनी अथवा भारतीय कंपनी का निदेशक है, द्वारा कर्मचारी स्टॉक आप्शन (इएसओपी) योजना के अंतर्गत विदेशी प्रतिभूतियों के अभिग्रहण हेतु 20,000 अमरीकी डालर के धन-प्रेषण का प्रतिबंध अब हटा दिया गया है। तथापि, योजना के अंतर्गत धन-प्रेषण की अनुमति के लिए पूरी की जानेवाली अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।
		• भारतीय कंपनियों को यह अनुमति दी गई है कि वे अपनी विदेशी मुद्रा की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी अवधि में एडीआर/जीडीआर के माध्यम से जुटाई गई विदेशी निधियों को रख सकते हैं। प्रत्यावर्तन के लिए लंबित अथवा ऐसी विदेशी मुद्रा निधियों के उपयोग के लिए उन्हें अनुमति दी गई है कि वे इसे जमाराशियों/मौद्रिक लिखतों की कतिपय निर्दिष्ट श्रेणियों में निवेश करें।
		• कंपनियों को अनुमति दी गई है कि वे बाह्य वाणिज्यिक उधार (इसीबी) के माध्यम से जुटाई गई निधि को, कतिपय निर्दिष्ट शर्तें पूरा करने के अधीन अपनी विदेशी मुद्रा की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी बैंक खाते में रख सकते हैं।
		• भारतीय कंपनियों को जिन्होंने विदेशों में कार्यालय स्थापित कर लिए हैं, रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से अपने कारोबार और स्टाफ के आवास के प्रयोजन से भारत के बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण की अनुमति दी गई है।
		उपर्युक्त सभी सुविधाएं अगली सूचना तक जारी रहेंगी।
	24	• अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों से अपेक्षित है कि वे अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों (आइसीसी) के इस्तेमाल के प्रभार का भुगतान केवल आवक धन प्रेषणों अथवा अपने अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता (एनआरई)/विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) (एफसीएनआर-बी) में धारित राशियों से करें। इसकी समीक्षा करने पर, भारत में बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्डों के ऐसे धारकों को क्रेडिट कार्ड के प्रभारों का भुगतान अपने अनिवासी (सामान्य) रुपया खाता (एनआरओ) में धारित राशि से, कार्ड की राशि-सीमा तक करने की अनुमति दी गई है। निवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के इस्तेमाल पर नामे डाले जाने की शर्त इस मामले में भी लागू होगी।
		• ग्राहकों को बाधारहित सेवाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से निवासियों द्वारा विदेश दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के इस्तेमाल को, क्रेडिट कार्ड की समग्र सीमा के भीतर प्रत्येक की सीमा सहित सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया है। निषिद्ध मदें जैसे-लाटरी टिकट, प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध पत्रिकाओं की खरीद, जुआ खेलने, काल-बैक सेवाओं के भुगतान आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के इस्तेमाल पर पाबंदी जारी रहेगी।
फरवरी	**3**	• अधिक उदारीकरण के उपाय के रूप में और प्रायोजित एडीआर/जीडीआर योजना के माध्यम से भारतीय कंपनियों को एडीआर/जीडीआर विदेशी एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करवाने हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भारतीय कंपनियों के निवासी शेयरधारकों को, जो अपने शेयरों को एडीआर/जीडीआर में परिवर्तित करने के लिए तैयार हैं, अनुमति दी गई है कि वे बिक्री आगमों को विदेशी मुद्रा में इस शर्त के अधीन प्राप्त कर सकते हैं कि एडीआर/जीडीआर में इस तरह परिवर्तन किए जाने को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) का अनुमोदन प्राप्त है। इसक अलावा, इस प्रकार स प्राप्त बिक्री आगमों को उनके विकल्प पर उनके विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा/निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) [इइएफसी)/आरएफसी (डी)] खातों में भी जमा करने की अनुमति दी गई है। ऐसे निवासी जो अब अनिवासी हो गए हैं, द्वारा योजना के अंतर्गत प्राप्य विनिवेश आगम, उनके विदेश में विदेशी मुद्रा खाते में अथवा भारत में उनके किसी भी खाते में उनके विकल्प पर जमा किए जाने के पात्र होंगे।
	10	• विदेशी टेलीविजन पर विज्ञापन देने हेतु धनप्रेषण की प्रक्रिया को आसान बनाने की दृष्टि से प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया है कि यदि निर्यातक ने पिछले 2 वर्षों में निर्धारित निर्यात आय की वसूली स्वयं कर ली है तो उनसे सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का आग्रह न किया जाए।
	14	• इइएफसी खाता योजना में छूट दिए जाने के उपाय के रूप में प्राधिकृत व्यापारियों को अधिकृत किया गया है कि वे अपने निर्यातक ग्राहकों को उनके इइएफसी खाते की राशियों में से बिना किसी मौद्रिक सीमा के विदेशी आयातकों को व्यापार संबंधी ऋण/अग्रिम देने की अनुमति प्रदान करें। यह छूट, जो 30 जून, 2003 तक प्रभावी थी अब अगली सूचना तक जारी रहेगी।
मार्च	**1**	• आटोमैटिक रूट के अंतर्गत बाह्य वाणिज्यिक उधार की चुकौती के लिए पूर्व में निर्धारित 100 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा हटा दी गई है। तदनुसार प्राधिकृत व्यापारियों को अधिकृत किया गया है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन, बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधारियों की समयपूर्वक चुकौती के लिए बिना किसी सीमा के स्थानीय संस्थाओं से बाजार क्रय के द्वारा धनप्रेषण की अनुमति प्रदान करें। यह छूट आगे सूचित किए जाने तक उपलब्ध रहेगी।
		• विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु आटोमैटिक रूट को और भी उदार बनाया गया हैः i) विदेश में संयुक्त उद्यम/ पूर्णस्वामित्ववाली अनुषंगी संस्थाओं में निवेश हेतु बाजार से विदेशी मुद्रा की खरीद हेतु निवल मालियत के 50 प्रतिशत तक की राशि सीमा बढ़ाकर निवेश करने वाली कंपनी की निवल मालियत के 100 प्रतिशत तक कर दी गई है; और ii) अब एक भारतीय कंपनी जिसका पिछला रिकार्ड अच्छा है, वास्तविक कारोबार कर रही विदेशी संस्था में बाजार खरीद के माध्यम से 100 मिलियन अमरीकी डालर की सकल सीमा के अंतर्गत अपनी निवल मालियत के 100 प्रतिशत तक निवेश करने के लिए पात्र होगी ।
	3	• प्राधिकृत व्यापारियों को भारत में अनुमत माल के आयात हेतु अपने आयातक ग्राहकों की ओर से स्टैंड-बाइ साखपत्र (एसबीएलसी) खोलने के लिए अधिकृत कर दिया गया है।

प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का कालक्रम

घोषणा की तारीख		नीतिगत घोषणाएं
2003		**V. बाह्य क्षेत्र की नीतियां** *(...समाप्त)*
मार्च	**20**	• प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई है कि वे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार/सम्मेलन/सभा क आयोजकों से भारत में अस्थायी विदेशी मुद्रा खाता खोलने के प्रस्तावों पर संबंधित कार्यक्रम के आयोजन हेतु भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त के साथ-साथ कतिपय निर्दिष्ट शर्तें पूरी किए जाने के अधीन विचार करें।
	27	• प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई है कि वे भारतीय कंपनियों को भारत सरकार के 5 फरवरी, 2003 के प्रेस नोट में निर्धारित शर्तों के अधीन वर्तमान विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बाण्डों की समयपूर्व चुकौती की अनुमति प्रदान करें।
अप्रैल	**1**	• विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसइजेड) के लिए कई प्रोत्साहन सुविधाएं घोषित की गई हैं : (i) विशेष आर्थिक क्षेत्रों के मामले में निर्यात आगमों की वसूली हेतु 12 महीने अथवा उससे अधिक की निर्धारित अवधि की शर्त हटा दी गई है, (ii) विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों को कतिपय शर्तों के अधीन, विदेश में काम हाथ में लेने में और उसी देश से माल निर्यात करने की अनुमति दी गई है, (iii) विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यात अभिमुख उपक्रमों की रत्न और आभूषण वाली इकाइयों को कतिपय शर्तों के अधीन, निर्यात किए गए आभूषणों के मूल्य के बराबर कीमती धातुएं अर्थात् स्वर्ण/चांदी, प्लेटिनम को निर्यात के भुगतान स्वरुप लेने की अनुमति दी गई है। (iv) विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, आयात भुगतानों के साथ निर्यात प्राप्तियों के समायोजन तथा आयात प्रतिदेय राशियों का पूंजीकरण करने की अनुमति दी गई है।
	26	• प्राधिकृत व्यापारियों/राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित भारत की वित्तीय संस्थाओं को, एनआरआइ/भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में उनकी रिहाइशी मिल्कियत की मरम्मत/नवीकरण/सुधार के लिए ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई है।
	29	• भारतीय कंपनियों और निवासी व्यक्तियों को अनुमति दी गई है कि वे विदेश में सूचीबद्ध पात्र कंपनियों के साख निर्धारित बाण्डों/स्थिर आय प्रतिभूतियों के साथ साथ बाण्ड इक्विटी में भी कतिपय शर्तों के अधीन निवेश करें ।
		• वर्तमान विनियमों के अंतगर्त ऋण/इक्विटी/एडीआर/जीडीआर में निवेश के लिए म्युचुअल फंडों द्वारा भारिबैं से अलग से अनुमति की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है। तदनुसार, सेबी से प्राप्त अपेक्षित अनुमोदन वाले म्युचुअल फंड विदेशों में निवेश कर सकते हैं।
		• दीर्घावधि निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को लंबित निवेश के लिए भारत में बैंकों के साथ वायदा बिक्री संविदा करके भारत में उनके विदेशी मुद्रा के एक्सपोजर के हेज (जोखिम से बचाव) की अनुमति दी गई है।
		• उन संस्थाओं को, जिन्होंने विदेशी मुद्रा में लेनदेन किया है किंतु उनका निपटारा रुपए में किया है, वायदा संविदाएं बुक करने की अनुमति दी गई है जिसे परिपक्वता तक धारित किया जाएगा और उनका नकद निपटान परिपक्वता तारीख को किया जाएगा।
		• अनिवासी भारतीयों/विदेशी निगमित निकायों को उनके एफसीएनआर (बैंक) खाते में धारित राशियों के हेज (जोखिम से बचाने) के लिए बहुराष्ट्रीय मुद्रा वायदा संविदाएं बुक करने की अनुमति दी गई है। तथापि, एक बार निरस्त की गई संविदा को पुनः बुक नहीं किया जा सकता ।
मई	**5**	• एनआरआइ/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों/आवास वित्त संस्थाओं से ऋण लेकर जुटाई गई निधि से क्रय किए गए रिहाइशी स्थान के बिक्री आगमों को प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा उस सीमा तक प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई जिस सीमा तक उन्होंने विदेशी आवक धनप्रेषणों से लिए गए उक्त ऋण की चुकौती की है ।
	21	• उदारीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, निवासी व्यक्ति जिसका वर्तमान विनियमावली के अंतर्गत यथा अनुमत, भारत में प्राधिकृत व्यापारी अथवा विदेश में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता है, को विदेशी बैंकों और अन्य प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है । भारत में या विदेश में इस कार्ड के इस्तेमाल पर लगने वाले प्रभार का भुगतान कार्डधारक के इस विदेशी मुदा खाते की निधि से अथवा भारत से उस बैंक के माध्यम से जहाँ कार्डधारक का चालू अथवा बचत खाता है, भेजे गए धनप्रेषण से करने की अनुमति दी गई है । जिन निषिद्ध मदों के क्रय पर प्रतिबंध लगाए गए हैं वे इन कार्डो पर भी लागू होंगे ।
जून	**16**	• स्थानीय प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) की इकाइयों को विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा उन्हें आपूर्त माल के भुगतान के लिए प्राधिकृत व्यापारियों से विदेशी मुद्रा क्रय करने की अनुमति दी गई है ।
	21	• भारत में डेरिवेटिव बाज़ार विकसित करने हेतु और निवासियों एवं अनिवासियों को करेंसी एक्सपोजर की हेजिंग के लिए उपलब्ध हेज-प्रोडक्ट का दायरा बढ़ाने के प्रयोजन से 7 जुलाई, 2003 से विदेशी मुद्रा रुपए ऑप्शंस की अनुमति दी जाएगी । न्यूनतम 9 प्रतिशत की क्रार (सीआरएआर) वाले प्राधिकृत व्यापारियों को बैक-टू-बैक आधार पर प्रोडक्ट की पेशकश करने की अनुमति दी जाएगी । इसके अलावा, जो प्राधिकृत व्यापारी कतिपय निर्दिष्ट मानदण्ड पूरा करने के साथ-साथ पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण, जोखिम निगरानी/प्रबंध प्रणाली, बाज़ार आधारित प्रणाली रखते हैं, को रिजर्व बैंक से केवल एक बार अनुमोदन लेने के बाद ऑप्शन बुक चलाने की अनुमति होगी ।
जुलाई	**17**	• विदेश में रोजगार, प्रवास, निकट संबंधी के भरण-पोषण और शिक्षा जैसी मदों के संबंध में धनप्रेषणों की वर्तमान सीमा को समान रूप से बढ़ाकर 1,00,000 अमरीकी डालर कर दिया गया है। प्राधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई है कि विदेश में इलाज करवाने के लिए, भारत/विदेश के अस्पताल/डाक्टर का व्यय अनुमान मांगे बिना, वर्तमान शर्तों के अधीन, निवासी भारतीयों को 1,00,000 अमरीकी डालर अथवा इसकी समतुल्य राशि (50,000 अमरीकी डालर अथवा इसकी समतुल्य राशि की वर्तमान सीमा के बदले) की विदेशी मुद्रा जारी करें। भारत के बाहर से प्राप्त की गई परामर्श सेवाओं के लिए धनप्रेषण की सीमा 1,00,000 अमरीकी डालर की वर्तमान सीमा की तुलना में बढ़ाकर 1 मिलियन अमरीकी डालर कर दी गई है।
	19	• यह स्पष्ट किया गया है कि सप्लायर्स क्रेडिट अथवा बायर्स क्रेडिट किसी के भी माध्यम से दिया जाने वाला अल्पावधि ऋण वणिक व्यापार अथवा बिचौलिया व्यापार लेनदेन के लिए नहीं दिया जाएगा।
	21	• आटोमैटिक अनुमोदन मार्ग के अंतगर्त विदेशी प्रौद्योगिकी सहभागिता करार करने वाली सभी कंपनियों को, भले ही उनकी विदेशी इक्विटी शेयरधारिता कुछ भी हो, रायल्टी भुगतान की अवधि पर किसी बंदिश के बिना निर्यात पर 8 प्रतिशत और घरेलू बिक्री पर 5 प्रतिशत का रायल्टी भुगतान करने की अनुमति दी गई है। आटोमैटिक मार्ग के अंतर्गत रायल्टी भुगतान के सभी मामलों को रिजर्व बैंक में पूर्व पंजीकरण करवाना जारी रहेगा।